राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

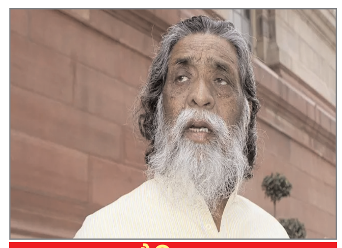

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापुर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, शुक्रवार , 27 मार्च 2026
वर्ष 14, अंक 335, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

होटल-रेस्टोरेंट बिल में एलपीजी चार्ज लगाने पर सख्त कार्रवाईः सीसीपीए ने जारी की चेतावनी..03

श्रीभूमि जिले के दुल्लभछड़ा में गंभीर गैस संकट, क्षेत्रवासियों ने विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया..04

कृषि GDP 6.95 लाख करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य, किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में योगी सरकार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उत्तर प्रदेश की राजनीति और विकास यात्रा में कृषि हमेशा से केंद्रीय विषय रही है. लेकिन यह भी उतना ही सच है कि लंबे समय तक अन्नदाता केवल घोषणाओं और वादों के बीच ही सिमटा रहा. ऐसे परिदृश्य में नव निर्माण के 9 वर्ष और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य की कृषि व्यवस्था में आए बदलावों को एक व्यापक संदर्भ में देखना जरूरी है. आंकड़े संकेत देते हैं कि वर्ष 2017 के बाद यूपी में कृषि को केवल उत्पादन तक सीमित न रखकर, उसे समग्र आर्थिक गतिविधि के रूप में विकसित करने का प्रयास हुआ है. बीज से बाजार तक की अवधारणा के तहत किसान को नीति के केंद्र में लाने का दावा किया गया है . यह बदलाव केवल नीतिगत भाषा का नहीं, बल्कि प्रशासनिक प्राथमिकताओं का भी प्रतीक है.

देश का फूड बास्केट

यदि कृषि अर्थव्यवस्था की बात करें, तो राज्य का कृषि जीडीपी ?2.96 लाख करोड़ से बढ़कर ?6.95 लाख करोड़ तक पहुंचना इस परिवर्तन की दिशा को दर्शाता है. देश के खाद्यान्न उत्पादन में 21 प्रतिशत योगदान और उत्पादन में 32 प्रतिशत की वृद्धि यह स्थापित करती है कि उत्तर प्रदेश ने अपनी कृषि क्षमता का प्रभावी उपयोग किया है. यही कारण है कि आज राज्य को देश के फूड बास्केट के रूप में देखा जाने लगा है. नव निर्माण के इन 9 सालों में सबसे बड़ा हस्तक्षेप किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के रूप में सामने आया है. 86 लाख से अधिक किसानों की ऋण माफी ने उन्हें तत्काल राहत दी, वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 3.12 करोड़ किसानों को ?99,000 करोड़ से अधिक की सहायता ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दी . इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा जैसी योजनाओं ने जोखिम प्रबंधन को भी मजबूत किया है.

गन्ना क्षेत्र में भी सुधार

योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में गन्ना क्षेत्र में सुधार को भी गिना जा सकता है. जहां पहले भुगतान में देरी और बकाया एक स्थायी समस्या थी, वहीं अब ?3.12 लाख करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान इस क्षेत्र में विश्वास बहाली का संकेत देता है . एथेनॉल उत्पादन में प्रदेश का अग्रणी बनना यह दर्शाता है कि कृषि को उद्योग से जोड़ने की दिशा में ठोस प्रयास हुए हैं. हालांकि, यह भी आवश्यक है कि गन्ना पर अत्यधिक निर्भरता से बचते हुए अन्य फसलों को भी समान महत्व दिया जाए. सिंचाई के क्षेत्र में हुए विस्तार को भी नव निर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा सकता है. सिंचाई क्षमता का 82 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 105 लाख हेक्टेयर तक पहुंचना, 1300 से अधिक परियोजनाओं का पूरा होना और सोलर पंपों की स्थापना यह दर्शाती है कि जल प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई है . बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में इसका प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां पानी की कमी लंबे समय से कृषि के लिए सबसे बड़ी बाधा रही है.

कृषि को आधुनिक बनाने का प्रयास

तकनीकी बदलाव भी इस अवधि की एक प्रमुख विशेषता रहे हैं. ड्रोन तकनीक, ई-मंडी और किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में प्रयास हुए हैं. 15 लाख से अधिक किसानों का प्रशिक्षण और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ाव यह दर्शाता है कि खेती अब पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकल रही है . लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि छोटे और सीमांत किसानों तक इन तकनीकों की पहुंच सुनिश्चित करना अभी भी एक चुनौती है. पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और उद्यानिकी के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखा है. यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविधीकरण का संकेत है, जो किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. नव निर्माण के 9 वर्षों में यह स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने कृषि को प्राथमिकता दी है और कई मोर्चों पर सुधार किए हैं. नव निर्माण के ये 9 वर्ष एक मजबूत आधार अवश्य तैयार करते हैं, लेकिन अब अगली चुनौती इस आधार को स्थायी समृद्धि में बदलने की है. यही उत्तर प्रदेश की कृषि नीति की असली कसौटी होगी.

25 महीने में 9 छात्रों ने दे दी जान... कानपुर IIT कैंपस के हॉस्टल में लगेंगे खास पंखे, आत्महत्या पर लगेगी लगाम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

आईआईटी कानपुर में बढ़ती आत्महत्यों की घटना को रोकने के लिए एक बड़ी पहल की है. पिछले 25 महीने में 9 आत्महत्याओं के मामले सामने आने के बाद आईआईटी कानपुर सवालों के घेरे में है. इन घटनाओं में जान गवाने वाले आईआईटी कैंपस में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं की मानसिक स्थित बेहद चिंताजनक और दुखद रही है. सुसाइड के केस को रोकने और कम करने के लिए हास्टल में स्प्रिंग लोडेड पंखे लगाने का निर्णय लिया गया है. देश के होनहार छात्र-छात्राओं के मानसिक दबाव और सुसाइड की घटनाएं पूरे शिक्षा तंत्र पर सवाल खड़ी करती हैं. पूरे मामले में आईआईटी कानपुर की माने तो अत्यधिक पढ़ाई का दबाव और तनाव की वजह से छात्रों ने सुसाइड किया है. फिलहाल आईटी कानपुर में ज्यादातर आत्महत्या हॉस्टल के पंखों में लटक कर हुई हैं, जिसके बाद आईआईटी कानपुर अब अपने कैंपस में स्प्रिंग लोडेड पंखे लगाए जाएंगे. आईटी कानपुर के विशेषज्ञ का मानना है कि इस स्प्रिंग लोडेड पंखे से फंदा लगाकर की जाने वाली सुसाइड के मामलों को पूरी तरीके से रोका जा सकेगा.

एक्सपर्ट ने क्या कहा?

आईटी कानपुर के अधिकारी अब छात्रावास में लगे सामान्य पंखों की जगह स्प्रिंग लोडेड पंखे लगाने की तैयारी कर रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इन पंखों के लग जाने के बाद अधिक भार से स्प्रिंग के कारण यह पंखे नीचे झुक जाएंगे जिससे ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा. वहीं छात्राओं को आईआईटी की ओर से मानसिक काउंसलिंग के लिए 'योर दोस्त' नाम की ऑनलाइन काउंसलिंग की सुविधा शुरू की गई है. इसके साथ ही, इमोशनल वेलनेस प्लेटफार्म के साथ छात्र-छात्राएं साझेदारी करेंगी. ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से 24 घंटे छात्र, शिक्षक और कर्मचारी कभी भी फोन पर ऑनलाइन माध्यम से अपनी समस्या का परामर्श ले सकेंगे. आईटी कानपुर में हुई 9 आत्महत्याओं के पीछे संस्थान प्रशासन ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य व सुरक्षा के दृष्टिगत यह महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात कही है. संस्थान का कहना है कि आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए छात्र-छात्राओं पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है. संस्थान में अधिकतर आत्महत्या के मामले में सामने आया कि पंखे के कुंडे से फंदा लगाकर जीवनलीला समाप्त की गई.

हॉस्टल में लगेंगे स्प्रिंग लोडेड फैन

वहीं, आईआईटी कानपुर में काउंसलिंग सेवाओं के साथ ही सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग की स्थापना कर दी गई है. इसमें 10 मनोवैज्ञानिक एक मनोचिकित्सक और तीन विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद हैं, जो जरूरत पड़ने पर छात्रों को तत्काल हेल्प करेंगे. सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग के हेड एडमिन प्रोफेसर सुधांशु शेखर ने बताया कि संस्थान के छात्र-छात्राओं को मानसिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयास किया जा रहे हैं. आत्महत्याओं के पीछे के कारणों को गहन जांच की जा रही है. इसके साथ ही पिछले दो सालों में हुई आत्महत्याओं की रीडिंग में निकले निष्कर्ष के चलते ही स्प्रिंग लोडेड पंखे लगाने का निर्णय लिया गया है.19 दिसंबर 2023 कोपल्लवी चिल्का शोध स्कॉलर उड़ीसा कटक की रहने वाली 35 वर्षीय छात्रा न पंखे से लटककर जान दे दी थी. वहीं 18 जनवरी 2024 को झारखंड की रहने वाली प्रियंका जायसवाल की पंखे से लटकती हुई लाश मिली थी, वो आईआईटी में पीएचडी करने आई थी. 10 अक्टूबर 2024 को प्रगति खारिया, जोकि पीएचडी स्कॉलर अर्थ साइंस विभाग में थी और उरई की रहने वाली थी, उसने भी पंखे से लटक कर जान दे दी थी.

पिछले साल कितने छात्रों ने किया सुसाइड?

वहीं अब तक पिछले 2 साल 1 महीने के अंदर कानपुर आईआईटी में नौ छात्रों ने सुसाइड किया, जिनमें से 8 ने पंखे से लटक कर जान दी है. 10 जनवरी 2025 को विकास मीणा, जोकि एयरोस्पेस डिपार्टमेंट से एम टेक छात्र थे और मेरठ के रहने वाले थे. उन्होंने भी पंखे से लटक कर जान दे दी थी. 10 फरवरी 2025 अंकित यादव ने सुसाइड कर लिया था, नोएडा के रहने वाले थे और पीएचडी करने के लिए केमिस्ट्री विभाग से जुड़े थे. 25 अगस्त 2025 महाराष्ट्र निवासी दीपक चौधरी जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर थे. उन्होंने आईआईटी के पास स्थित एक मोहल्ले में फ्लैट के पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया था. 1 अक्टूबर 2025 इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग छात्र धीरज सैनी ने हॉस्टल के कमरे में पंखे से सुसाइड कर लिया था.वहीं, 25 दिसंबर 2025 को राजस्थान के अजमेर के रहने वाले जयसिंह मीणा जोकि आईआईटी में बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर के छात्र थे. उन्होंने पंखे से लटक कर जान दे दी थी. 20 जनवरी 2026 मूल रूप से राजस्थान के चुरू जिले के रहने वाले 28 वर्षीय रामस्वरूप जोकि डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस से पीएचडी कर रहे थे इन्होंने बिल्डिंग की छठवीं मंजिल से कूद कर जान दे दी थी.

संक्षिप्त ख़बरें

ईरान के पीड़ित बच्चों के लिए 15 लाख में बेचा प्लॉट, अब BJP नेता ने कर दी बड़ी मांग

मेरठः जिले के जानीखुर्द क्षेत्र में रसूलपुर धौलड़ी गांव के तीन भाइयों द्वारा ईरान में हमलों के शिकार हुए बच्चों के परिवारों की मदद के लिए अपनी जमीन दान किये जाने का मामला सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता अंकित चौधरी ने इस मामले पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है एवं इसकी जांच की मांग की है। रसूलपुर धौलड़ी गांव के अमान मुस्तफा ने बृहस्पतिवार को बताया कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान में किये गये हमलों में करीब 300 बच्चों की मौत की खबर से वह और उनका परिवार आहत है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने उन्हें, उनके बड़े भाई यासिर मुस्तफा और छोटे भाई सुबर मुस्तफा को गहराई से प्रभावित किया। मुस्तफा ने बताया कि जरूरतमंदों की मदद करने के उद्देश्य से तीनों भाइयों ने करीब 15 लाख रुपए मूल्य के 125 गज के अपने भूखंड को दान करने का निर्णय लिया। मुस्तफा के मुताबिक इसके लिए उन्होंने अंजुमन हुसैनिया संस्था से संपर्क किया और बुधवार को संस्था के पदाधिकारियों को भूखंड के कागजात सौंप दिए। अंजुमन हुसैनिया के अध्यक्ष तनवीर हैदर ने इस पहल के लिए तीनों भाइयों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस भूखंड को बेचने से मिलने वाली धनराशि संस्था के माध्यम से ईरान में प्रभावित परिवारों तक पहुंचाई जाएगी। इस घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में लोगों ने तीनों भाइयों की सराहना की और इसे इंसानियत की मिसाल बताया। हालांकि भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अंकित चौधरी ने इस मामले पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा एवं इसकी जांच की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से तीनों भाइयों की संपत्ति की जांच कराने और यह सुनिश्चित करने की मांग की कि धन का उपयोग नियमों के अनुरूप हो।

हिंदू विरोधी नीतियां, हिंसा और भ्रष्टाचार... ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी के 'ब्लैक पेपर' में क्या-क्या?

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव-2026 का सियासी तापमान पहले से ही चरम पर है. बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज है. अब बीजेपी ने 28 मार्च को कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ममता सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर यानी चार्जशीट जारी करने की योजना बनाई है. इसके साथ ही अप्रैल में पार्टी अपना घोषणापत्र भी पेश करेगी. बीजेपी के ब्लैक पेपर में राज्य सरकार की नाकामियों, भ्रष्टाचार, अपराध और राजनीतिक हिंसा पर जोर दिया जाएगा. पार्टी का दावा है कि टीएमसी सरकार हिंदू विरोधी नीतियों को बढ़ावा दे रही है और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है. इसके अलावा बीजेपी ने दावा किया है कि उनके कार्यकर्ताओं की सुरक्षा नहीं की गई और कई बार उन पर हमले हुए हैं. टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि केंद्र और बीजेपी चुनाव प्रक्रिया में दखल दे रही है.

बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा चुनाव आयोग- टीएमसी

पार्टी का दावा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है. इसके साथ ही टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी बाहरी मतदाताओं को राज्य में लाकर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रही है. भारतीय जनता पार्टी के हमलों और टीएमसी के आरोपों के बीच आइए जानते हैं कि बीजेपी के ब्लैक-पेपर में क्या-क्या होगा. बीजेपी के ब्लैक पेपर में प्रशासनिक विफलताएं, भ्रष्टाचार, अपराध और हिंसा, हिंदू विरोधी नीतियां, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, बेरोजगारी और सामाजिक नाकामियां होंगी. इसमें नंदीग्राम और अन्य हिंसक घटनाओं का हवाला देते हुए टीएमसी की छवि को भ्रष्ट और असफल दिखाने की रणनीति अपनाई जाएगी. 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा.

टीएमसी का इन मुद्दों पर जोर

बीजेपी ब्लैक पेपर और घोषणापत्र के जरिए सियासी माहौल को तेज करने की तैयारी में है. जबकि टीएमसी अपनी विकास-आधारित नीतियों और चुनावी निष्पक्षता के मुद्दों को जोर दे रही है. चुनावी लड़ाई अब केवल वोटों की नहीं, बल्कि राजनीतिक छवि और रणनीति की भी है.

टीएमसी जारी कर चुकी है घोषणापत्र

टीएमसी अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर चुकी है. अब बीजेपी की बारी है, जो कि 'ब्लैक पेपर' के बाद जारी किया जाएगा. ब्लैक पेपर को बीजेपी घर-घर तक पहुंचाएगी. नेता और कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को ये सौंपेंगे. इसमें सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कटौती का मुद्दा भी उठाया जा सकता है.

असम में 'एकला चलो' की राह पर ममता तृणमूल कांग्रेस 22 सीटों पर लड़ेगी चुनाव

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

टीएमसी पश्चिम बंगाल के साथ-साथ असम में भी चुनाव लड़ेगी. ममता बनर्जी की पार्टी ने पूर्वोत्तर राज्य में 'एकला चलो' नीति पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. पहले पार्टी ने 51 सीटों पर चुनाव लड़ने का विचार किया था. मगर अब पता चला है कि टीएमसी कुल 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है. तृणमूल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वे असम चुनाव में विपक्षी गठबंधन में नहीं होंगे. टीएमसी को भरोसा है कि वह एकजुट होकर असम में विपक्ष की भूमिका अदा कर सकती है. टीएमसी ने असम में दो फेज में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की. पहली लिस्ट में 17 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी जबकि दूसरी लिस्ट में टीएमसी ने सात उम्मीदवार उतारे थे. साथ ही डुलू अहमद की उम्मीदवारी वापस ले ली थी. इससे उम्मीदवारों की कुल संख्या 23 हो गई. वहीं, मारियानी के उम्मीदवार ने उम्मीदवारी वापस ले लिया. इसके बाद अब टोटल उम्मीदवारों की संख्या 22 है.

भाजपा छोड़ने वाले को मौका नहीं

तृणमूल ने भाजपा छोड़ने वाले नेताओं को उम्मीदवार चयन में शामिल न करके बागी दलों को मौका दिया है, जिसके भविष्य में दल-बदल का खतरा न हो. तृणमूल का आरोप है कि वे राज्य में कांग्रेस-भाजपा की असमंजस की स्थिति में एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरना चाहते हैं. सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि पार्टी एक निश्चित लक्ष्य के साथ चुनाव में उतर रही है. परिणाम चाहे जो भी हो. बता दें कि टीएमसी ने वरिष्ठ नेता दुलू अहमद को असम से उम्मीदवार बनाया है. वे चमारिया निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे. इसके अलावा, तृणमूल टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अन्य उम्मीदवारों में शामिल हैं:

कोकराझार - उदंगश्री नरजारी
बिलासिपारा- मोमिनुर इस्लाम
अभयपुरी - कौशिक रंजन दास
बाजली- कल्याणी कलिता
गोरेश्वर - राजन चौहान
मंगलदाई- हरे कृष्ण डेका
कटिग्रा - फजीउर रहमान लस्कर
सोनाई- शाहजहां लश्कर

असम में 9 अप्रैल को मतदान

असम में मतदान 9 अप्रैल को होगा. पूर्वोत्तर राज्य में एक ही चरण में मतदान होगा. विधानसभा की कुल सीटें 126 हैं. इनमें से तृणमूल कांग्रेस 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. असम चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित होंगे.

CBI का बड़ा एक्शन... रांची में चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर को 50,000 रिश्वत लेते पकड़ा, श्रेया सिंह को बनाया नया सीनियर DCM

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीबीआई ने रांची में दक्षिण पूर्वी रेलवे के एक चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर (सीसीआई) को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसने एक मामले में शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. पकड़े जाने पर उसने ये बात स्वीकार भी की है. उधर, रेल प्रशासन ने रांची डिवीजन की सीनियर डीसीएम शुची सिंह को हटाकर डीसीएम श्रेया सिंह को इस पद की जिम्मेदारी दी है. केंद्रीय एजेंसी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर हिमांशु शेखर पर शिकायतकर्ता से 8.7 लाख रुपये के बिल को मंजूरी देने के एवज में उक्त राशि का 10 प्रतिशत बतौर रिश्वत मांगने का आरोप है. इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है.

सीबीआई ने और क्या कहा?

सीबीआई ने बताया कि जाल बिछाकर की गई कार्रवाई में आरोपी को शिकायतकर्ता से पहली किस्त के रूप में 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया. आरोपी के कार्यालय और आवासीय परिसर में तलाशी ली गई. मामले की जांच जारी है. इस पूरे मामले में RAILWHISPERS की ओर से कहा गया कि रांची डिवीजन की मनबढ़ी सीनियर डीसीएम शुची सिंह को तुरंत पद से हटाकर रेल प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया. नया सीनियर डीसीएम श्रेया सिंह को बनाया गया हैं. बताते हैं कि चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर हिमांशु शेखर के 50 हजार के रिश्वत कांड में शुची सिंह का भी नाम आया है! सीबीआई ने ने शेखर को रंगेहाथ पकड़ा है.

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि ठेकेदार अजय त्यागी ने अपनी शिकायत में कहा था कि डीसीएम ऑफिस में वो किराए पर अपने वाहन देते हैं. इसके एवज में उन्हें डीसीएम ऑफिस से 8.70 लाख रुपये का भुगतान लेना है. इस पेमेंट के एवज में उनसे कुल राशि का 10 फीसदी रिश्वत के तौर पर मांगा जा रहा है. त्यागी की शिकायत पर एजेंसी ने जांच शुरू की और आरोप सही पाए. इसके बाद हिमांशु को रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ लिया.

एशिया में बड़ी जंग की तैयारी में चीन! बीच समुंदर में बनाया मिट्टी और कंक्रीट का कृत्रिम द्वीप, यहां सैनिक तैनात किए

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

जब पूरी दुनिया का ध्यान मध्य पूर्व की जंग में है, उसी बीच चीन कुछ ऐसा करने में जुटा है. जो एशिया में उसे एक बड़ी ताकत बना देगा है. चीन लंबे समय से पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना अधिकार जताता है, अब इसे कंट्रोल करने के लिए उसने एक बड़ी तैयारी कर ली है. सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन एंटेलोप रीफ पर बहुत तेजी से एक आइलैंड बना रहा है. जानकारों का कहना है कि इस कदम से दक्षिण चीन सागर में चीन की ताकत और मजबूत हो सकती है. बीजिंग दक्षिण चीन सागर के ज्यादातर हिस्से पर अपना अधिकार जताता है. इस रास्ते से हर साल दुनिया का पांचवा हिस्सा समुद्री व्यापार होता है. इस वजह से चीन का अपने कई पड़ोसी देशों के साथ विवाद बना रहता है, क्योंकि उनके दावे भी इस इलाके पर एक-दूसरे से टकराते हैं.वियतनाम के पास बन रहा चीनी द्वीप बता दें, 1974 में चीनी सेनाओं ने उस समय के दक्षिण वियतनाम से पैरासेल द्वीपों पर कब्ज़ा कर लिया था. तब से बीजिंग ने इस द्वीप समूह में 20 चौकियां बना ली हैं, जिनमें से कुछ पर सेना तैनात है. यह ताजा काम एंटेलोप रीफ पर केंद्रित है, यह पैरासेल द्वीप समूह के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में पानी के नीचे बनी एक कोरल (मूंगा) संरचना है. यह वियतनाम के शहर ह्यू से लगभग 250 मील पूरब में और चीन के हैनान प्रांत से 175 मील दक्षिण-पूर्व में स्थित है.

सैटेलाइट तस्वीरों में चौकाने वाले खुलासे

वंटोर की सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण के मुताबिक अब तक लगभग 1490 एकड़ ज़मीन बनाई जा चुकी है. इसमें से ज़्यादातर जमीन अक्टूबर के बाद बनाई गई है, जब इस काम का नया चरण शुरू हुआ था. यह आकार में दक्षिण चीन सागर में चीन के सबसे बड़े कृत्रिम द्वीप, मिसचीफ रीफ के बराबर है और पास के वुडी द्वीप के आकार का दो-तिहाई है. वॉशिंगटन D.C. के थिंक टैंक 'सेंटर फ़ॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़' (CSIS) ने लिखा है कि एंटेलोप रीफ़ अब इतना बड़ा हो चुका है कि वह उन दोनों सैन्य ठिकानों पर मौजूद बुनियादी ढांचे को संभाल सके, जिसमें तटीय रक्षा प्रणालियां, ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं.

सार्वजनिक न्याय की नई दिशा, सुप्रीम कोर्ट के तीन ऐतिहासिक फैसले और बदलता भारत

भारत के न्यायिक इतिहास में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो केवल कानूनी व्याख्या तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज की संरचना, अधिकारों की परिभाषा और राज्य की जिम्मेदारियों को नई दिशा देते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तीन महत्वपूर्ण निर्णय धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति (एससी) के दर्जे पर स्पष्टता, सैन्य बलों में महिला अधिकारियों के साथ समानता सुनिश्चित करना, और झूठी एफआईआर के मामलों में सख्त रुख–इसी श्रेणी में आते हैं। ये फैसले न केवल संविधान की मूल भावना को मजबूत करते हैं, बल्कि यह भी संकेत देते हैं कि न्यायपालिका सामाजिक न्याय, समान अवसर और कानून के दुरुपयोग पर एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

पहला और सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला निर्णय धर्म परिवर्तन और अनुसूचित जाति के दर्जे से जुड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाता है, तो वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं रह जाता। यह निर्णय संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 की उस मूल भावना को दोहराता है, जिसमें अनुसूचित जातियों की पहचान ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव और छुआछूत की प्रथाओं से जुड़ी हुई है, जो मुख्यतः हिंदू सामाजिक ढांचे में विद्यमान रही हैं। न्यायालय का यह कहना कि धर्म परिवर्तन के साथ ही एससी का दर्जा और उससे जुड़े सभी वैधानिक लाभ तत्काल समाप्त हो जाते हैं, एक कठोर लेकिन स्पष्ट संदेश है कि आरक्षण और विशेष अधिकारों का आधार सामाजिक उत्पीड़न की ऐतिहासिक वास्तविकता है, न कि केवल जातीय पहचान।

यह निर्णय उन बहसों को भी नई दिशा देता है, जो लंबे समय से धर्मांतरण और सामाजिक न्याय के बीच संबंध को लेकर चल रही थीं। कुछ पक्षों का तर्क रहा है कि भले ही व्यक्ति धर्म बदल ले, लेकिन सामाजिक भेदभाव का प्रभाव समाप्त नहीं होता, जबकि दूसरी ओर यह भी कहा जाता रहा है कि आरक्षण का उद्देश्य विशेष रूप से उन समुदायों को राहत देना है जो एक विशिष्ट सामाजिक संरचना में उत्पीड़ित रहे हैं। न्यायालय ने इस जटिल बहस में संवैधानिक प्रावधानों को प्राथमिकता देते हुए स्पष्टता प्रदान की है। इससे नीति निर्माताओं और समाज दोनों के लिए यह समझना आसान होगा कि सामाजिक न्याय की योजनाएं किन आधारों पर लागू होती हैं।

दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय भारतीय सैन्य बलों में महिला अधिकारियों के अधिकारों से संबंधित है। न्यायालय ने यह माना कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत कार्यरत महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने में जो मापदंड अपनाए गए, वे असमान और भेदभावपूर्ण थे। अदालत ने न केवल इस असमानता पर आपत्ति जताई, बल्कि यह भी निर्देश दिया कि जिन महिला अधिकारियों को प्रमोशन से वंचित किया गया है, उन्हें 20 वर्षों की सेवा के आधार पर पूर्ण पेंशन दी जाए। यह फैसला केवल आर्थिक राहत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस मानसिकता को चुनौती देता है जिसमें सेना जैसे संस्थानों में पुरुष वर्चस्व को स्वाभाविक माना जाता रहा है।

इस निर्णय का व्यापक सामाजिक प्रभाव भी है। यह संदेश देता है कि देश की सुरक्षा और सेवा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को सीमित नहीं किया जा सकता। समान अवसर और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली किसी भी आधुनिक लोकतंत्र की पहचान होती है, और न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया है कि यह सिद्धांत सैन्य संस्थानों में भी लागू हो। इससे आने वाली पीढ़ियों की महिला अधिकारियों के लिए मार्ग अधिक स्पष्ट और न्यायसंगत होगा।तीसरा निर्णय झूठी एफआईआर और सबूत गढ़ने के मामलों में न्यायालय के सख्त रुख को दर्शाता है। अदालत ने इस विषय पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते हुए यह संकेत दिया है कि कानून के दुरुपयोग को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वर्तमान व्यवस्था में झूठी शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया सीमित होने के कारण कई बार निर्दोष लोग लंबे समय तक कानूनी उलझनों में फंस जाते हैं। न्यायालय का यह कदम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है कि कानून का उपयोग न्याय के लिए हो, न कि व्यक्तिगत प्रतिशोध या उत्पीड़न के लिए।

यह फैसला न्याय व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। एक ओर जहां पीड़ितों को न्याय दिलाना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोपों के कारण सजा या मानसिक उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। न्यायालय का यह हस्तक्षेप इसी संतुलन को स्थापित करने का प्रयास है।

इन तीनों निर्णयों को यदि एक साथ देखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल कानून की व्याख्या नहीं कर रहा, बल्कि वह समाज में न्याय, समानता और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को मजबूत कर रहा है। धर्म परिवर्तन पर स्पष्टता, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और कानून के दुरुपयोग पर नियंत्रण ये तीनों पहलू एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

इन फैसलों का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये समाज को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करते हैं। क्या हम वास्तव में समानता के सिद्धांत को अपने व्यवहार में उतार पा रहे हैं? क्या हमारे संस्थान निष्पक्ष और पारदर्शी हैं? और क्या हम कानून का उपयोग जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं? ये प्रश्न केवल न्यायालय के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए हैं।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि ये निर्णय भारत के संवैधानिक मूल्यों को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। ये न केवल वर्तमान परिस्थितियों का समाधान प्रस्तुत करते हैं, बल्कि भविष्य के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन भी देते हैं। न्यायपालिका का यह सक्रिय और संतुलित दृष्टिकोण यह भरोसा दिलाता है कि देश में कानून का शासन केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीवंत और प्रभावी व्यवस्था है, जो हर नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

कांतिलाल मांडोत

खुद की गलतियों से आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ बना पाकिस्तान

विश्व भर में पाकिस्तान सबसे बड़ा आतंकवाद का गढ़ बन गया है। पाकिस्तान की खुद की कमर आज उस आतंकवाद ने तोड़ दी है जिसे कभी शह देकर उसने ही पाला पोसा था। इस बात की पुष्टि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कर रहा है, जिसमें पहली बार पाकिस्तान शीर्ष स्थान पर पहुंचा है। साल 2025 में आतंकवाद से जुड़ी मौतों के मामले में 6 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (आईईपी) द्वारा जारी ग्लोबल टैररिज्म इंडैक्स 2026 के अनुसार, पिछले साल पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में 1,139 मौतें दर्ज की गई, जो वहां की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को दिखाती हैं। ग्लोबल टैररिज्म इंडैक्स 2026 में 163 देशों में आतंकवाद के असर का आकलन किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान का अपने पड़ोसी देशों, खासकर अफगानिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं। इसके अलावा प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) की तरफ से बढ़ती हिंसा ने पाकिस्तान के लिए सुरक्षा जोखिमों को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में आतंकी हमलों में मौत की संख्या भी चौंकाने वाली है। रिपोर्ट से पता चलता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद से होने वाली मौतें अब 2013 के बाद से अपने सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। 2025 में देश में आतंकवाद से 1,139 मौतें और 1,045 घटनाएं दर्ज की गई थी। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। कहा गया है कि टीटीपी ने पाकिस्तान के भीतर सबसे खतरनाक आतंकी समूह के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। यह वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे खतरनाक आतंकी समूह है। आईईपी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2009 के बाद से पाकिस्तान में कुल हमलों में टीटीपी के हमलों का हिस्सा 67 प्रतिशत से ज्यादा रहा है, और पाकिस्तान में होने वाले हमलों के लिए यह दूसरे सबसे सक्रिय समूह, बीएलए के मुकाबले पांच गुना ज्यादा जिम्मेदार है। खास बात यह है कि दुनिया के 4 सबसे खतरनाक समूहों में टीटीपी ही एकमात्र ऐसा संगठन था जिसकी गतिविधियों में पिछले साल बढ़ोतरी देखी गई। 2025 में टीटीपी की मारक क्षमता में भारी बढ़ोतरी हुई। आतंकवादी घटनाओं की संख्या 24 प्रतिशत बढ़कर 595 हमलों तक पहुंच गई। ये हमले मुख्य रूप से अफगानिस्तान की सीमा के पास खैबर पख्तूनख्वा इलाके में हुए, जिनमें 637 लोगों की मौत हुई-यह आंकड़ा 2011 के बाद से सबसे ज्यादा है।

रिपोर्ट बताती है कि 6000 से 6500 टीटीपी लड़ाके अफगानिस्तान के अंदर से काम कर रहे हैं और वहीं से पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। करीब 85% हमले अफगान सीमा के 10 से 50 किलोमीटर के दायरे में होते हैं।

पाकिस्तान के कबायली इलाकों को लंबे समय तक ऐसे समूहों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता रहा है। यहां से तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, अल-कायदा और बाद में टीटीपी जैसे संगठन मजबूत हुए। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद टीटीपी को और सुरक्षित ठिकाना मिल गया। पाकिस्तान ने अफगान सरकार से कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।एक नकारात्मक सोच रखने वाला और कट्टरपंथी राह पर चलने वाला पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन व संरक्षण देने वाला पाकिस्तान आज खुद आतंकवाद का शिकार है।

एक रिपोर्ट के अनुसार हालांकि, कुल हमलों की संख्या में थोड़ी कमी आई, लेकिन 2025 लगातार छठा साल रहा जब आतंकवाद से मौतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके अलावा, देश में बंधक बनाने की घटनाओं में भी भारी उछाल देखा गया। 2024 में 101 के मुकाबले 2025 में 655 लोग बंधक बनाए गए। यह वृद्धि मुख्य रूप से जाफर एक्सप्रेस हमले के कारण हुई, जिसमें 442 लोगों को बंधक बनाया गया था। बता दें कि आतंरिक सुरक्षा की स्थिति खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा खराब है, जहां 2025 में कुल आतंकी हमलों का 74 प्रतिशत और मौतों का 67 प्रतिशत हिस्सा दर्ज किया गया। वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान अब बुर्किना फ़ासो, नाइजीरिया, नाइजर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के साथ उन पांच देशों में शामिल है, जहां दुनियाभर की लगभग 70 फीसदी आतंकी मौतें होती हैं। यह ताजा रैंकिंग 2025 में दूसरे स्थान पर रहने के बाद आई है, जो पाकिस्तान में लगातार बिगड़ती सुरक्षा स्थिति की पुष्टि करती है।

2021 में जब काबुल में तालिबान ने सत्ता संभाली तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मिठाइयां बांट रही थी. उन्हें लगा था कि उनका स्ट्रैटेजिक डेप्थ का सपना पूरा हो गया. लेकिन पासा पूरी तरह पलट गया. अफगानिस्तान में आतंकी घटनाओं और मौतों में 95% की भारी गिरावट आई. आज वहां की सड़कों पर होने वाले धमाके कम हुए हैं और तालिबान ने ऐसे समूहों पर नकेल कसी है।

आपको बता दें जनरल आसिम मुनीर के कार्यकाल में पाकिस्तान आतंकवाद का नया एक्सपोर्ट-इंपोर्ट हब बन चुका है. पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी जिस तालिबान को अपना एसेट मानती थी, उसी से जुड़ा टीटीपी अब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज का शिकार कर रही है. मुनीर साहब राजनीति और इमरान खान को दबाने में इतने व्यस्त रहे कि सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता उनके हाथ से निकल गई.

सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से अस्थिर पाकिस्तान आज भी उत्पन्न हुई स्थिति पर आत्मचिंतन करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान जब से अस्तित्व में आया तभी से भारत विरुद्ध नीति उसकी राजनीति का केंद्र बिन्दु रही है पाकिस्तान की नकारात्मक नीतियों का ही परिणाम है कि पहले बांग्लादेश अस्तित्व में आया और आज बलूचिस्तान अलग होने के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत विरुद्ध आतंकियों का इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान आज आतंकवाद केंद्र भी है और आतंकवाद पीड़ित भी है। पाकिस्तान अगर सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिरता चाहता है तो उसे आतंकियों को समर्थन व संरक्षण देना बंद करना होगा और सकारात्मक सोच अपनाकर अपने भविष्य को संवारने के लिए कार्य करना होगा।

पाकिस्तान के आंतरिक राजनीतिक हालात जगजाहिर हैं, शरीफ सरकार एक कठपुतली सरकार से अधिक कुछ नहीं।सेना प्रमुख मुनीर के हाथों में पाकिस्तान की बागडोर सिमट रही है अमेरिका मुनीर को तवज्जो देकर अपने हित साधने की जुगत कर रहा है। मुनीर जिहादियों का इस्तेमाल भारत विरुद्ध तो कर ही रहे हैं। पाकिस्तान के भीतर आतंकियों को आज भी पाकिस्तानी सेना के प्रमुख मुनीर समर्थन दे रहे हैं। इसी कारण पाकिस्तान में आतंकवाद भी और उस कारण जान माल का नुकसान भी बढ़ रहा है। विश्व में आतंकवाद के कारण होने वाली सबसे अधिक मौतों के कारण शीर्ष पर पाकिस्तान के होने का मुख्य कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था के इतर पाकिस्तानी में लगातार सेना प्रमुख का हस्तक्षेप बना रहना है।पाकिस्तान की बुनियाद ही घृणा विद्वेष और सांप्रदायिक कट्टरता की जमीन पर रखी गई है यही उसके लिए भारी पड़ रही है।

मनोज कुमार अग्रवाल

संपादकीय

समान नागरिक संहिता का गुजरात मॉडलः एक देश एक कानून की दिशा में निर्णायक कदम

गुजरात विधानसभा में पारित 'यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) विधेयक, 2026' केवल एक कानून नहीं, बल्कि भारतीय समाज की संरचना में एक व्यापक बदलाव का संकेत है। यह विधेयक उस लंबे विमर्श का परिणाम है, जो दशकों से 'समान नागरिक कानून' की अवधारणा को लेकर देश में चलता रहा है। अब गुजरात ने इस दिशा में ठोस पहल करते हुए विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का साहसिक निर्णय लिया है। यह कदम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप है, जो राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में प्रयास करने का निर्देश देता है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानून के सामने सभी नागरिक समान हों, चाहे उनका धर्म, आस्था या परंपरा कुछ भी हो। लंबे समय से भारत में अलग-अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू होते रहे हैं, जिनमें विवाह, तलाक और संपत्ति से जुड़े नियम भिन्न-भिन्न रहे हैं। इससे कई बार सामाजिक और कानूनी असमानताएं उत्पन्न होती रही हैं, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के संदर्भ में। यूसीसी इन असमानताओं को समाप्त करने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।

इस विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह सार्वजनिक कानून के रूप में सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। इसका मतलब यह है कि अब व्यक्तिगत मामलों में भी राज्य एक समान नियम लागू करेगा, जिससे कानून की व्याख्या और क्रियान्वयन में एकरूपता आएगी। विवाह का अनिवार्य पंजीकरण, तलाक के लिए समान प्रक्रिया, और उत्तराधिकार में पुत्र-पुत्री को समान अधिकार–ये सभी प्रावधान इस बात को स्पष्ट करते हैं कि कानून अब व्यक्ति की धार्मिक पहचान के बजाय उसकी नागरिक पहचान को प्राथमिकता देगा।

विधेयक में लिव-इन संबंधों को भी कानूनी दायरे में लाया गया है, जो आधुनिक समाज की बदलती वास्तविकताओं को स्वीकार करने का संकेत है। ऐसे संबंधों का एक महीने के भीतर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विवादों की स्थिति में कानूनी संरक्षण उपलब्ध होगा। यह प्रावधान विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अनौपचारिक संबंधों में अक्सर महिलाएं कानूनी सुरक्षा से वंचित रह जाती थीं।

यूसीसी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब किसी भी विवाह को तभी वैध माना जाएगा, जब दोनों पक्षों में से किसी का कोई जीवित जीवनसाथी न हो। यह प्रावधान न केवल कानूनी स्पष्टता प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा, विधेयक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोर्ट के बाहर लिए गए तलाक को मान्यता नहीं दी जाएगी, जिससे मनमाने और एकतरफा निर्णयों पर रोक लगेगी।

हालांकि यह कानून व्यापक रूप से लागू किया गया है, लेकिन अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। यह निर्णय उनकी पारंपरिक जीवनशैली और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से लिया गया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार ने समानता और सांस्कृतिक विविधता के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने विधानसभा में चर्चा के दौरान स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी धर्म या आस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित करने का प्रयास है। उन्होंने यह भी बताया कि इस विधेयक को तैयार करने से पहले व्यापक जनपरामर्श किया गया, जिसमें लगभग 20 लाख सुझाव प्राप्त हुए। इनमें से अधिकांश सुझाव इस कानून के समर्थन में थे, जो यह दर्शाता है कि समाज में एक समान कानून की आवश्यकता को लेकर व्यापक सहमति बन रही है।

इस विधेयक के निर्माण में रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को आधार बनाया गया है। यह तथ्य इस कानून को और अधिक विश्वसनीय बनाता है, क्योंकि इसमें न्यायिक दृष्टिकोण और विशेषज्ञता का समावेश है। समिति ने विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन कर यह सुनिश्चित किया कि कानून व्यावहारिक, न्यायसंगत और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हो।

यूसीसी के तहत नियमों के उल्लंघन पर सख्त दंड का प्रावधान भी किया गया है। पंजीकरण नहीं कराने पर जुर्माना, बहुविवाह या धोखाधड़ी के मामलों में कठोर सजा, और अवैध तलाक पर दंड–ये सभी प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि कानून केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी हो।

गुजरात का यह कदम राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। यह दर्शाता है कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामाजिक सहमति हो, तो समान नागरिक संहिता जैसे जटिल विषय पर भी ठोस प्रगति की जा सकती है। आने वाले समय में यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है और देशव्यापी यूसीसी लागू करने की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अंततः, यह कहा जा सकता है कि गुजरात में पारित यूसीसी विधेयक भारतीय लोकतंत्र के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह कानून न केवल समानता और न्याय के सिद्धांतों को मजबूत करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को उसकी धार्मिक पहचान से परे एक समान कानूनी अधिकार मिले। यदि इसका प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो यह समाज में समरसता, न्याय और एकता को नई दिशा दे सकता है।

कांतिलाल मांडोत

तीन देशों का महायुद्ध और भारत के शांति प्रयासों की भूमिका

युद्ध कभी भी किसी भी परिस्थिति में वैश्विक विकास के लिए एक बड़ा अवरोध ऐतिहासिक रूप से साबित हुआ है। युद्ध किसी भी बात का विकल्प नहीं है। युद्ध,हिंसा और संघर्ष प्राचीन काल से मानवीय सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा साबित हुए हैं। इतिहास गवाह है कि कई देशों को युद्ध और हिंसा ने ही भूगोल से अदृश्य कर दिया है। तीन देशों इज़रायल, ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ा महायुद्ध आज केवल सीमाओं और सामरिक वर्चस्व का संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि यह समूची मानव सभ्यता के संतुलन को डगमगाने वाला एक भयावह वैश्विक संकट बन चुका है, इस युद्ध की जड़ें वर्षों से चले आ रहे वैचारिक मतभेदों, क्षेत्रीय प्रभुत्व की आकांक्षाओं और सामरिक गठबंधनों में छिपी रही हैं, जो अब खुलकर एक भीषण सैन्य टकराव का रूप ले चुकी हैं, इज़रायल की आक्रामक सैन्य रणनीतियाँ, ईरान की जवाबी कार्रवाई और अमेरिका की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भागीदारी ने इस संघर्ष को वैश्विक स्तर पर विस्तारित कर दिया है, इस महायुद्ध का सबसे अधिक दुष्प्रभाव मध्य पूर्व के देशों–इराक, सीरिया, लेबनान और यमन–पर पड़ रहा है जहाँ पहले से ही अस्थिरता और संघर्ष की स्थिति थी और अब यह युद्ध उनके लिए मानवीय संकट का रूप ले चुका है, इसके अतिरिक्त सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देश भी सुरक्षा और आर्थिक दबाव से जूझ रहे हैं, जबकि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देश महँगाई और आपूर्ति संकट से गहराई से प्रभावित हो रहे हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था इस संघर्ष के कारण गंभीर संकट में फँस गई है, कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उछाल ने परिवहन, उद्योग और दैनिक जीवन को महँगा बना दिया है, खाद्यान्न संकट ने गरीब देशों में भूख और कुपोषण का खतरा बढ़ा दिया है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग असुरक्षित हो गए हैं, निवेशकों का विश्वास डगमगा रहा है और विश्व आर्थिक मंदी की आशंका गहराती जा रही है, जनजीवन पर इसका प्रभाव अत्यंत पीड़ादायक है, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में लोग अपने घरों से विस्थापित होकर शरणार्थी बनने को मजबूर हैं, लाखों बच्चों की शिक्षा बाधित हो चुकी है, अस्पतालों में संसाधनों की कमी ने जीवन को संकट में डाल दिया है, वहीं अन्य देशों में बेरोजगारी, महँगाई और मानसिक असुरक्षा का वातावरण गहराता जा रहा है, इस भीषण परिस्थिति में भारत ने शांति और संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, भारत ने सदैव 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना को अपनाते हुए संवाद और कूटनीति का मार्ग प्रशस्त किया है, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत ने लगातार युद्धविराम, शांतिपूर्ण समाधान और वार्ता की आवश्यकता पर बल दिया है, मानवीय सहायता के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुँचाने के प्रयास भी किए गए हैं और यह संदेश दिया गया है कि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता, भारत की यह संतुलित और दूरदर्शी नीति वैश्विक शांति के लिए एक सकारात्मक पहल के रूप में देखी जा रही है, आज जब पूरा विश्व इस महायुद्ध के दुष्परिणामों से जूझ रहा है तब यह आवश्यक हो जाता है कि सभी राष्ट्र अपने संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर मानवता के व्यापक हित को प्राथमिकता दें और इज़रायल, ईरान तथा अमेरिका जैसे राष्ट्र संवाद, संयम और सहयोग का मार्ग अपनाएँ, क्योंकि अंततः युद्ध केवल विनाश, पीड़ा और असंतुलन की कहानी लिखता है, जबकि शांति ही वह मार्ग है जो विश्व को स्थिरता, समृद्धि और मानवीय संवेदनाओं से जोड़ सकता है।

संजीव ठाकुर

अशोक खरात मामले का सामाजिक विश्लेषण

महाराष्ट्र के नासिक में खुद को त्रिकालज्ञानी और अवतारी पुरुष बताने वाले कथित ढोंगी बाबा अशोक खरात उर्फ 'कैप्टन' की गिरफ्तारी की खबर सामने आई, तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। यह केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि यह अंधविश्वास, सत्ता के दुरुपयोग और महिला शोषण के एक ऐसे गठजोड़ का पर्दाफाश था जिसने समाज की रीढ़ को हिला कर रख दिया। रिटायर्ड मर्चेंट नेवी अधिकारी से लेकर एक प्रभावशाली ज्योतिषी और आध्यात्मिक गुरु बनने तक का सफर तय करने वाले खरात ने अपने इस रूपांतरण का इस्तेमाल महिलाओं के यौन शोषण के लिए एक हथियार की तरह किया। नाशिक क्राइम ब्रांच ने 18 मार्च 2026 को सिन्नर तालुके के मिरगांव स्थित उसके फार्महाउस से उसे गिरफ्तार किया, लेकिन इस कार्रवाई के पीछे की कहानी कई साल पुरानी थी। एक पीड़िता ने 2022 से 2025 तक के दौरान हुए उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस की नींद खुली और एक बड़े षड्यंत्र का भंडाफोड़ हुआ। इस मामले ने यह साबित कर दिया कि कैसे आध्यात्मिकता के नाम पर अंधविश्वास का व्यापार किया जाता है और कैसे कमजोर वर्ग, विशेषकर महिलाएं, इसका शिकार बनती हैं। खरात का तरीका बेहद सुनियोजित और खतरनाक था। उसने अपने आप को भगवान का अवतार और न्यूमेरोलॉजिस्ट के रूप में स्थापित किया था। श्री ईशानेश्वर महादेव ट्रस्ट का चेयरमैन बनकर उसने न केवल आम लोगों बल्कि सत्ता के गलियारों में भी अपनी पैठ बनाई थी। 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा ट्रस्ट का दौरा करना और गौशाला के लिए दान देना खरात के प्रभाव का जीवित उदाहरण था। हाई-प्रोफाइल नेता और व्यापारी हेलीकॉप्टर से उसके पास पहुंचते थे, जो उसके कद का अंदाजा लगाता है। लेकिन इस आध्यात्मिक चमक के पीछे एक काला सच छिपा था। खरात महिलाओं को 'योनि पूजा', 'संतान प्राप्ति' और 'पति की रक्षा' जैसे झूठे अनुष्ठानों के नाम पर अपने जाल में फंसाता था। इसका सबसे खतरनाक हथियार था 'ओश्नो जल'। यह कोई पवित्र जल नहीं बल्कि कफ सिरप, पानी और कुटी हुई वियाग्रा का मिश्रण था, जिसे पीने से महिलाओं में उत्तेजना और लत लग जाती थी। सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया ने जब इसका राजफाश किया, तब तक खरात अपना साम्राज्य खड़ा कर चुका था। पुलिस की जांच में पाया गया कि इस नशीले पेय का इस्तेमाल महिलाओं को बेहोश या उत्तेजित करके उनके साथ शोषण करने के लिए किया जाता था, जिसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था।

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने जो सबूत बरामद किए, वे चौंकाने वाले थे। मिरगांव फार्महाउस की तलाशी में 58 से लेकर 100 से अधिक अश्लील वीडियो क्लिप पेन ड्राइव में मिलीं, जिनका इस्तेमाल पीड़िताओं को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता था। हिडन कैमरे, सीसीटीवी फुटेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए गए, जो इस बात का सबूत थे कि यह एक संगठित अपराध नेटवर्क था। इसके अलावा, पुलिस को वहां से पिस्तौल और कारतूस भी मिले, जो खरात के आपराधिक मनोबल को दर्शाते हैं। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब संपत्ति के दस्तावेज सामने आए, जिनकी कुल कीमत 200 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई। इसमें फार्महाउस, बंगला और जमीन शामिल थी। ?6.5 लाख नकद भी जब्त किया गया। ये आंकड़े बताते हैं कि अंधविश्वास के नाम पर कमाया गया धन कितना विशाल था और इसका जाल कितना गहरा था। पुलिस ने पाया कि ऑफिस में महिलाओं को मेज पर शोषण के वीडियो भी बनाए गए थे, जो मानवता को शर्मसार करने वाले थे। कानूनी कार्रवाई के मामले में इस बार पुलिस और प्रशासन सख्त नजर आया। खरात पर महाराष्ट्र ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 की धारा 3(1) और 3(2) के तहत कार्रवाई की गई, जो मानव बलि और अमानवीय प्रथाओं को रोकने के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1) यानी बलात्कार, धारा 69 यानी धोखे से यौन संबंध, धारा 74 यानी महिला की गरिमा भंग और धारा 351 यानी आपराधिक धमकी के तहत मामले दर्ज किए गए। अब तक सरकारवाड़ा, वावी और शिरडी पुलिस स्टेशनों में कुल 6 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। नाशिक पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व आईपीएस तेजस्विनी सत्पुते ने किया। एसआईटी ने पीड़िताओं से संपर्क करने के लिए दो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए, ताकि डर के मारे चुप बैठी अन्य महिलाएं भी आगे आ सकें। कोर्ट ने खरात की पुलिस कस्टडी 24 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है, ताकि गहन पूछताछ की जा सके और नेटवर्क के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके। इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में भी भूचाल मचा दिया। महाराष्ट्र महिला आयोग की चेयरपर्सन रूपाली चाकणकर, जो एनसीपी से संबद्ध हैं, इस विवाद में घिर गईं। सामने आए एक वीडियो में वे खरात के पैर धोती हुई दिखीं, जिसे पारिवारिक श्रद्धा बताया गया, लेकिन विपक्ष ने इसे संरक्षण का सबूत माना। चाकणकर ने खरात के अपराधों से अपनी अनभिज्ञता जताई और व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर 19-20 मार्च 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर यह इस्तीफा स्वीकार किया गया, लेकिन विपक्ष, विशेषकर शिवसेना (यूबीटी) और सुषमा अंधारे ने इस पर सवाल उठाए। उन्होंने खरात को संरक्षण देने, पीड़िताओं की दलाली करने और तंत्र-मंत्र के व्यापार में शामिल होने के आरोप लगाए तथा नार्को टेस्ट की मांग की। यह राजनीतिक विवाद इस बात का संकेत है कि कैसे ऐसे गॉडमैन राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट बैंक या प्रभाव का साधन बन जाते हैं और जब पर्दा उठता है तो बड़े नेताओं की कुर्सी भी डगमगा जाती है। इस पूरे कांड का एक और संवेदनशील पहलू पितृत्व और डीएनए टेस्ट से जुड़ा है। खरात ने कई परिवारों को 'संतान प्राप्ति' का झूठा वादा दिया था, जिससे कई बच्चों के जन्म हुए। अब सवाल यह है कि इन बच्चों का वास्तविक पिता कौन है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 के तहत विवाहकालीन पैदा हुआ बच्चा पति का माना जाता है, जब तक कि गैर-पहुंच साबित न हो। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में इवान रथिनम बनाम मिलन जोसेफ मामले में स्पष्ट किया है कि डीएनए टेस्ट रूटीन नहीं हो सकता। इसके लिए मजबूत प्राइमा फेसी सबूत जैसे धोखा या शोषण के सबूत होने चाहिए और कोर्ट के आदेश के बिना पति द्वारा टेस्ट कराना गोपनीयता के उल्लंघन के समान हो सकता है। इससे कानूनी पेचदांनियां खड़ी होती हैं, क्योंकि एक तरफ न्याय की मांग है तो दूसरी तरफ बच्चे की पहचान और मानसिक स्थिरता का सवाल। पैटरनिटी फ्रॉड से बच्चों और माताओं में डिप्रेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो सकता है, इसलिए कोर्ट को काउंसलिंग को अनिवार्य करने की आवश्यकता है।

सामाजिक स्तर पर देखें तो यह मामला महाराष्ट्र में अंधविश्वास की जड़ों को उजागर करता है। खरात जैसे गॉडमैन पैसे और पावर के बल पर फलते-फूलते हैं। 'ओश्नो जल' जैसे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल केवल शारीरिक उत्तेजना के लिए नहीं, बल्कि मानसिक अधीनता के लिए किया जाता था। महिलाओं को पति की मृत्यु का भय दिखाकर या हिप्नोसिस के जरिए शोषित किया गया, जिससे उन्हें पीटीएसडी जैसी मानसिक चोटें लगीं। अंजली दमानिया जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत से यह राज खुला, लेकिन यह सिस्टम की कमजोरी भी दिखाता है कि इतने बड़े पैमाने पर अपराध होते रहे और पुलिस या प्रशासन की आंखें क्यों खुलीं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सभी दोषियों को सजा का वादा किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल खरात को सजा मिलने से काम चल जाएगा या इसके पीछे के गिरोह और संरक्षणकर्ताओं तक भी जांच पहुंचेगी। अंततः, यह स्कैंडल महाराष्ट्र के लिए एक कलंक बनकर उभरा है। बाबा गिरफ्तार हुआ, चेयरपर्सन ने इस्तीफा दिया, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। सैकड़ों पीड़िताएं अभी भी डर के मारे चुप हैं। एसआईटी को सख्ती बरतनी होगी ताकि न्याय मिल सके। सरकार को पीड़िताओं के लिए काउंसलिंग सेंटर और कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए। समाज को भी अंधविश्वास छोड़कर विज्ञान और तर्क को अपनाना होगा। डीएनए और कानून की जटिलताओं के बीच संवेदनशीलता बनाए रखना जरूरी है ताकि पीड़ितों पर दोबारा अत्याचार न हो। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन इसके बिना न्याय असंभव है। यदि समाज को बचाना है, तो ऐसे संगठित अपराधों के खिलाफ जागरूकता फैलानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि आध्यात्मिकता के नाम पर किसी का शोषण न हो। खरात का मामला एक चेतावनी है कि सत्ता और अंधविश्वास का गठजोड़ कितना विनाशकारी हो सकता है, और इसे तोड़ने के लिए कानून, समाज और प्रशासन को एकजुट होना होगा।

महेन्द्र तिवारी

स्वामी– स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

चंद्रभानु में मनाया गया टी वी उन्मूलन जागरूकता अभियान

सीतापुर 25 मार्च चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय में टीबी उन्मूलन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ योगेंद्र कुमार सिंह ने सभी छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों का स्वागत किया। महाविद्यालय के प्रबंधक डॉ टीपी सिंह ने टीबी उपचार के प्रति लोगो लोगों को जागरूक किया तथा बताया की यदि किसी व्यक्ति को 10 दिनों से अधिक समय तक लगातार खांसी, बुखार, वजन में गिरावट, रात में पसीना आना जैसे लक्षण दिखाई दें तो उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर स्वास्थ्य जांच कराना चाहिए समय पर जांच और उपचार से टीबी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। यह जांच और इलाज सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क है। महाविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉ सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि महाविद्यालय आसपास के गांव में जन अभियान चलाकर बीमारी की पहचान तथा टी बी उन्मूलन अभियान को सफल बनाने में अपनी भागीदारी दे रहा है। इस अवसर पर महाविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक डॉ हृदय नारायण तिवारी, धनेंद्र कुमार सिंह, डॉ उपमा त्रिपाठी डॉ के डी सिंह सहित सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

रसोई गैस सिलेंडर को सुबह से एजेंसियों में लंबी कतार, तीसरे दिन भी लौटे खाली हाथ

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में रसोई गैस को लेकर लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। समय पर गैस सिलेंडर न मिलने से उपभोक्ता काफी परेशान हैं। नगर के बाईपास रोड स्थित गैस एजेंसी पर सुबह 7 बजे से ही लंबी कतार लग जाती है। उपभोक्ताओं को पर्ची कटाने के लिए घंटों धूप में खड़ा रहना पड़ रहा है, जिससे सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को हो रही है। बाल्हेमऊ गांव से आई सविता ने बताया कि उनका नवरात्र का व्रत चल रहा है और घर में गैस खत्म हो चुकी है। घर में कोई पुरुष सदस्य मदद के लिए नहीं है। वह लगातार तीन दिन से एजेंसी आ रही हैं, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। लाइन में लगे जयशंकर त्रिवेदी ने बताया कि सरकार की ओर से सुविधाएं तो दी जा रही हैं, लेकिन एजेंसी संचालकों की मनमानी के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि गैस न मिलने के कारण उन्हें मजबूरी में छत पर ईंट का चूल्हा बनाकर खाना बनाना पड़ रहा है। वहीं बंदरों के आतंक से स्थिति और भी मुश्किल हो गई है। गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाना जोखिम भरा साबित हो रहा है और हादसे की आशंका बनी रहती है।

लखनऊ के BKT में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे प्रयास, चला बुलडोजर; SDM के निर्देश पर हुआ एक्शन

लखनऊ। बीकेटी। नगर पंचायत बख्शी का तालाब क्षेत्र में कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे की कोशिश को प्रशासन ने सख्ती से विफल कर दिया। एसडीएम साहिल कुमार के निर्देश पर राजस्व विभाग और नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलाते हुए निर्माण सामग्री हटाकर भूमि को कब्जामुक्त कराया। अब्बास नगर के राजस्व गांव बरगदी मगठ में राजस्व अभिलेखों में दर्ज कब्रिस्तान पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा था। सीतापुर रोड स्थित इस भूमि पर कई बार अवैध कब्जे होने की शिकायतें मिली थी। हाल ही में कुछ लोगों द्वारा ईंट डालकर पक्के निर्माण की तैयारी की जा रही थी। इस मामले की शिकायत संपूर्ण समाधान दिवस में पूर्व प्रधान सियासत हुसैन भूरी ने की थी, जिस पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। राजस्व निरीक्षक नावेद उस्मानी के नेतृत्व में आई टीम ने मौके पर पहुंचकर ईंटों के ढेर को हटवा दिया। एसडीएम साहिल कुमार ने बताया कि कब्जामुक्त कराई गई जमीन नगर पंचायत को सौंप दी गई है। दोबारा कब्जे की कोशिश पर सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

रियाद में मिसाइल हमले में सीतापुर के युवक की मौत 5 दिन बाद गांव पहुंचा शव, पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल

स्वतंत्र प्रभात

सीतापुर रियाद में एक मिसाइल हमले में मारे गए यूपी के सीतापुर के युवक रवि गोपाल का शव बुधवार को पैतृक गांव पहुंचा शव के घर पहुंचते ही पत्नी रोती-बिलखती रही। मां-पिता का रो-रोकर बुरा हाल था शव के पहुंचने पर उसे अंतिम विदाई देने आसपास के गांवों के लोग भी उमड़े। गांव के पास स्थित एक खेत में उसका अंतिम संस्कार किया गया। बड़े भाई ने मुखाग्नि दी रवि गोपाल, जिला मुख्यालय से करीब 75 किलोमीटर दूर महमूदाबाद थाना क्षेत्र के बघाइन गांव का रहने वाला था। पिछले 3 साल से वह रियाद रह रहा था। युवक रियाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करता था। 5 दिन पहले 18 मार्च को फैक्ट्री पर हुए मिसाइल हमले में उसकी मौत हो गई थी। मंगलवार सुबह रियाद से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा। यहां से गांव ले जाया गया। बघाइन गांव के रहने वाले रवि गोपाल तीन साल पहले सऊदी अरब के रियाद काम करने गए थे। गांव में पिता लवनीत कुमार, मां बैजंती देवी, बड़े भाई मनमोहन, रवि की पत्नी रीता देवी और करीब 3.5 साल का बेटा रहते हैं। भाई मनमोहन के अनुसार, पहली बार दो साल रियाद में रहने के बाद वह वापस आ गए थे। सितंबर 2025 में वह दोबारा रियाद गए। वहां वह एक प्लास्टिक फैक्ट्री में ड्राइवर के रूप में काम करता था। 18 मार्च को एक मिसाइल हमला फैक्ट्री पर हुई। इसमें उसकी जान चली गई। गांव के प्रधान व अन्य लोगों के माध्यम से जब सूचना पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। परिजन ने युवक के साथ रहने वाले रामनिवास से संपर्क किया। साथी रामनिवास ने युवक के मौत की पुष्टि की। बताया कि रवि का शव मिल गया है और उसे फ्रीजर में रखा गया है। इसके बाद शव भारत लाने के लिए सरकार से गुहार लगाने लगे। सूचना पाकर रविवार को विधायक आशा मौर्य ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात कर शव जल्द भारत लाने का भरोसा भी दिलाया। जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर के निर्देश पर नायब तहसीलदार राकेश त्रिवेदी ने गांव पहुंचकर परिजनों से जानकारी जुटाई और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रयास के बाद रियाद से शव लाने की प्रक्रिया पूरी की गई। बुधवार को शव लखनऊ पहुंचा। इस दौरान तहसीलदार महमूदाबाद और बीजेपी नेता डॉ. अम्मार रिजवी भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को एम्बुलेंस के जरिए सीतापुर के बघाइन गांव के लिए रवाना कर दिया गया। गांव पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कर गांव के पास खेत में युवक की चिता सजाई गई। बड़े भाई ने मुखाग्नि दी!!

रास्ता रोककर छिनैती, युवक ने पुलिस से लगाई गुहार

स्वतंत्र प्रभात

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे के कानपुर रोड स्थित निराला नगर मोहल्ले के एक युवक ने बाइक सवार तीन लोगों पर रास्ता रोककर छिनैती का प्रयास करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मोहल्ला निवासी रोहित पाल ने बताया कि मंगलवार रात करीब 11 बजे वह अपने पैतृक गांव कुम्भड़ौरा से वापस लौट रहा था। इसी दौरान पीछे से आए बाइक सवार युवकों ने उसे ओवरटेक कर रोकने की कोशिश की। गनीमत रही कि वह किसी तरह बच निकला, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।

पीड़ित के अनुसार, एक ही बाइक पर सवार तीन युवकों ने उसे रोककर छिनैती करने का प्रयास किया। उसने आरोपियों में से एक को पहचानते हुए नामजद तहरीर पुलिस को दी है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

होटल-रेस्टोरेंट बिल में एलपीजी चार्ज लगाने पर सख्त कार्रवाई: सीसीपीए ने जारी की चेतावनी

स्वतंत्र प्रभात

नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि ग्राहकों के बिल में 'एलपीजी चार्ज', 'गैस चार्ज', 'गैस सरचार्ज', 'ईंधन लागत वसूली' या किसी भी नाम से अतिरिक्त शुल्क लगाना अनुचित व्यापार प्रथा है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सीसीपीए ने बुधवार को जारी अपनी एडवाइजरी में स्पष्ट किया कि हाल के एलपीजी संकट की आड़ में कुछ होटल और रेस्टोरेंट बिल में डिफॉल्ट रूप से ऐसे चार्ज जोड़ रहे हैं, जो पूरी तरह गैरकानूनी है। मेन्यू पर लिखी गई कीमत अंतिम मानी जाएगी। उसमें केवल लागू टैक्स जोड़ा जा सकता है। एलपीजी, गैस या अन्य ईंधन की लागत व्यवसाय की आंतरिक परिचालन व्यय है, जिसे अलग से ग्राहकों पर नहीं डाला जा सकता।

सीसीपीए की मुख्य हिदायतें:

- कोई भी होटल या रेस्टोरेंट बिल में एलपीजी चार्ज, गैस चार्ज या समान कोई अतिरिक्त शुल्क स्वतः या डिफॉल्ट रूप से नहीं लगा सकता।
- मेन्यू प्राइस फाइनल है- केवल टैक्स जोड़ें।
- ऐसे शुल्क लगाना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत दंडनीय अनुचित व्यापार प्रथा माना जाएगा।
- उल्लंघन पर सीसीपीए जांच करेगा और जुर्माना लगाएगा।

सीसीपीए ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अगर बिल में ऐसा कोई अतिरिक्त चार्ज दिखे, तो सबसे पहले रेस्टोरेंट प्रबंधन से उसे हटाने का अनुरोध करें। अगर मना किया जाए तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करें या एनसीएच मोबाइल ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कराएं।

यह चेतावनी उन शहरों (जैसे बेंगलुरु, मुंबई आदि) में एलपीजी आपूर्ति की कमी के बाद आई है, जहां कुछ रेस्टोरेंट ने 'गैस क्राइसिस चार्ज' या 'एलपीजी रिवीजन' जैसे नामों से 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क जोड़ना शुरू कर दिया था। सीसीपीए ने इसे सेवा शुल्क के पुराने विवाद से जोड़ते हुए साफ कहा कि कोई भी छिपा या अनिवार्य अतिरिक्त शुल्क बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उपभोक्ता अधिकार विशेषज्ञों का मानना है कि सीसीपीए का यह कदम आम ग्राहकों के हितों की मजबूत रक्षा करेगा और होटल-रेस्टोरेंट उद्योग को पारदर्शी बिलिंग की ओर प्रेरित करेगा। इससे पहले सीसीपीए ने अनिवार्य सर्विस चार्ज पर भी रोक लगाई थी, जिसे अदालत ने भी सही ठहराया था। अब ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त एलपीजी या ईंधन चार्ज के सिर्फ मेन्यू प्राइस + जीएसटी का ही भुगतान करेंगे। कोई उल्लंघन होने पर सीसीपीए तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार है।

रुद्रपुर में 4.5 करोड़ की लागत से बनेगा जिले का पहला विवाह भवन-सुधा

रुद्रपुर, देवरिया। नगर पंचायत रुद्रपुर की अध्यक्ष सुधा निगम के विशेष प्रयास पर जिले का पहला विवाह भवन बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 4.5 करोड़ के लागत से बनने वाले भवन के लिए 3 करोड़ रुपए जारी हो गये हैं। यह जिले का पहला विवाह भवन होगा जो मलाह टोली वार्ड स्थित नगर पंचायत की भूमि पर बनेगा। नगर पंचायत रुद्रपुर की अध्यक्ष सुधा निगम के प्रस्ताव को मंजूर करने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ को नगर पंचायत की जनता ने धन्यवाद दिया है।नगर पंचायत में अब गरीब भी अपने बेटे बेटियों की शादी अच्छे विवाह भवन में कर सकते हैं। नगर पंचायत धीरे-धीरे अपने वादे को पूरा कर रही है,आने वाली दिनों में जो भी वादे किए गए हैं उसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। सभासदों ने चेयरमैन सहित प्रतिनिधि छेद्देलाल निगम को भी बधाई दी है।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे क्लाइन्ट एरिया आफिस गृहम हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्थित लक्ष्मणदास काम्पलेक्स ऊपर ग्राउंड फ्लोर प्लाट नं. 282 देवकाली निकट मिस स्कूल अयोध्या 224002 की तरफ से सूचित किया जाता है कि भूपेन्द्र नाथ पाण्डेय पुत्र मोहन लाल पाण्डेय निवासीभटहा जंगल टप्पा अतरोहा, परगानाः बस्ती पश्चिम, तहसीलः हरैया जिलाः बस्ती. यूपी ने गृह ऋण के लिए आवेदन किया था जिसमें बैनामा मूल बैनामा

1. विक्रय विलेख दिनांकः 13-04-2015, बही संख्याः 1, जिल्द संख्या 4096, पृष्ठ संख्या 1/14, दस्तावेज संख्या 2758, फातिमा खातून पत्नी चांद मोहम्मद और मोहम्मद रफीक पुत्र जमीन अली द्वारा राबिया बेगम पत्नी रफी अहमद के पक्ष में निष्पादित किया गया।
2. विक्रय विलेख दिनांकः 21-04-2015, बही संख्या 1, जिल्द संख्या 4102, पृष्ठ संख्या 1/22, दस्तावेज़ संख्या 2896, भूपेंद्र नाथ पांडे पुत्र मोहन लाल पांडे द्वारा राबिया बेगम पत्नी रफी अहमद के पक्ष में निष्पादित।
3..मूल विक्रय विलेख दिनांकः 20-05-2016, बही संख्या 1, जिल्द संख्या 4479, पृष्ठ संख्या 101/120, दस्तावेज़ संख्या 3448, मोहम्मद अनीस, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद अजीज, मोहम्मद सकील पुत्र चांद मोहम्मद द्वारा राबिया बेगम पत्नी रफी अहमद के पक्ष में निष्पादित।

बेच दिया था जो कहीं खो गया है। यदि किसी व्यक्ति, बैंक अथवा संस्था को प्रश्नगत सम्पत्ति को बंधक रखने के आपत्ति है तो इस प्रकाशन के 7 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर दें अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि किसी बैंक, व्यक्ति अथवा संस्था को प्रश्नगत सम्पत्ति को बंधक रखने में कोई आपत्ति नहीं है।

सचिनशंकर एडवोकेट शेड नं.3
सिविल कोर्ट फैजाबाद
मो.-8299765176

कार्यालय ग्राम पंचायत रतनपुर झिंगहा विकास खण्ड गैसड़ी, जनपद बलरामपुर

पत्रांकः मेमो/ग्रा0पं0/वीबी जी राम जी/राज्य वित्त आयोग/केंद्रीय वित्त आयोग 2026-27 दिनांकः 27-03-2026

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

जिला-बलरामपुर में वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु बी जी राम जी / राज्य वित्त आयोग/ केन्द्र राज्य वित्त आयोग /स्वच्छभारत मिशन पेज-2/ आर0जी0एस0ए0/ एस0एल0डब्लू0एम0 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य योजनाओं एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पंचायत भवन, वृक्षारोपण, कायाकल्प, अन्त्येष्टी स्थल, ग्राम पंचायत में पेयजल की आपूर्ति, टेंडर इत्यादि कार्य हेतु प्रथम / द्वितीय श्रेणी इंट/ इंटरलॉकिंग ईट ईट, गिट्टी बालू / मोरंग / ग्रेनाइट /सरिया / पत्थर गिट्टी / ह्यूमपाइप / पेंट, सामुदायिक शौचालय मरम्मत, लारवा फागिंग, पुलिया निर्माण, सोक पिट, गड्ढा निर्माण, इत्यादि समस्त निर्माण सामग्री मेज-कुर्सी अलमारी, साइनबोर्ड, स्कूल के झूले एवं अन्य खेल सामग्री की आवश्यकता है। और छुट्टकमशीन किराये पर ट्रैक्टर-ट्रॉली किराये पर आवश्यकता है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 27-03-2026 से 30-03-2026 तक सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा पर वांछित प्रपत्र बंद लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय के निविदा बॉक्स में डाली जाएगी। धरोहर राशि 05 हजार रूपये मात्र होगी। निविदा एवं कोटेशन दिनांक 03-04-2026 उपस्थिति में 10 बजे से 01 बजे तक निविदा फार्म खोला जायेगा।

नियम/शर्ते निम्न है:-

1- निविदा शुल्क रू. 650 होगी जो कि देय नहीं होगी।
2-जिस आपूर्तिकर्ता की दर सबसे कम होगी उसे ग्राम पंचायत द्वारा कार्य कराये जाने हेतु सूचित किया जायेगा यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित समय सीमा में आपूर्ति नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में आपूर्ति आदेश निरस्त करते हुए वरियता क्रम में अन्य फर्म को आपूर्ति आदेश जारी करने हेतु स्वतंत्र है।
3-फर्म को जी0एस0टी0 पंजीकृत हो तो आयकर की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
4-ग्राम प्रधान सचिव द्वारा नामित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आपूर्ति की मौजूदगी में निविदा खोला जायेगा।
5- जो दरें प्रस्तुत की जाएं वह दरें जीएसटी तथा ढुलाई चढ़ाई उतराई तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाए।
6- सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दरों से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी।
7- सामग्री की आपूर्ति सचिव / ग्राम प्रधान के आपूर्ति आदेश पर ही की जाए।
8- प्रस्तुत दरें पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
9-स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी अवरअभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त ही किया जायेगा गुणवत्ता खराब होने पर आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया जायेगा।

अमित वर्मा
ग्राम पंचायत अधिकारी वि0खं0
गैसड़ी, जनपद-बलरामपुर

हरीश मिश्रा
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत रतनपुर झिंगहा, वि0खं0
गैसड़ी, जनपद-बलरामपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत मोहकमपुर जरवा विकास खण्ड गैसड़ी, जनपद बलरामपुर

पत्रांकः मेमो/ग्रा0पं0/वीबी जी राम जी/राज्य वित्त आयोग/केंद्रीय वित्त आयोग 2026-27 दिनांकः 27-03-2026

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

जिला-बलरामपुर में वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु वीबी जी राम जी / राज्य वित्त आयोग/ केन्द्र राज्य वित्त आयोग /स्वच्छभारत मिशन पेज-2/ आर0जी0एस0ए0/ एस0एल0डब्लू0एम0 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य योजनाओं एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पंचायत भवन, वृक्षारोपण, कायाकल्प, अन्त्येष्टी स्थल, ग्राम पंचायत में पेयजल की आपूर्ति, टेंडर इत्यादि कार्य हेतु प्रथम / द्वितीय श्रेणी इंट/ इंटरलॉकिंग ईट ईट, गिट्टी बालू / मोरंग / ग्रेनाइट /सरिया / पत्थर गिट्टी / ह्यूमपाइप / पेंट, सामुदायिक शौचालय मरम्मत, लारवा फागिंग, पुलिया निर्माण, सोक पिट, गड्ढा निर्माण, इत्यादि समस्त निर्माण सामग्री मेज-कुर्सी अलमारी, साइनबोर्ड, स्कूल के झूले एवं अन्य खेल सामग्री की आवश्यकता है। और छुट्टकमशीन किराये पर ट्रैक्टर-ट्रॉली किराये पर आवश्यकता है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 27-03-2026 से 30-03-2026 तक सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा पर वांछित प्रपत्र बंद लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय के निविदा बॉक्स में डाली जाएगी। धरोहर राशि 05 हजार रूपये मात्र होगी। निविदा एवं कोटेशन दिनांक 02-04-2026 उपस्थिति में 11 बजे से 02 बजे तक निविदा फार्म खोला जायेगा।

नियम/शर्ते निम्न है:-

1- निविदा शुल्क रू. 650 होगी जो कि देय नहीं होगी।
2-जिस आपूर्तिकर्ता की दर सबसे कम होगी उसे ग्राम पंचायत द्वारा कार्य कराये जाने हेतु सूचित किया जायेगा यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित समय सीमा में आपूर्ति नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में आपूर्ति आदेश निरस्त करते हुए वरियता क्रम में अन्य फर्म को आपूर्ति आदेश जारी करने हेतु स्वतंत्र है।
3-फर्म को जी0एस0टी0 पंजीकृत हो तो आयकर की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
4-ग्राम प्रधान सचिव द्वारा नामित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आपूर्ति की मौजूदगी में निविदा खोला जायेगा।
5- जो दरें प्रस्तुत की जाएं वह दरें जीएसटी तथा ढुलाई चढ़ाई उतराई तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाए।
6- सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दरों से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी।
7- सामग्री की आपूर्ति सचिव / ग्राम प्रधान के आपूर्ति आदेश पर ही की जाए।
8- प्रस्तुत दरें पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
9-स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी अवरअभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त ही किया जायेगा गुणवत्ता खराब होने पर आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया जायेगा।

अमित वर्मा
ग्राम पंचायत अधिकारी वि0खं0
गैसड़ी, जनपद-बलरामपुर

शकीला
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत मोहकमपुर जरवा, वि0खं0
गैसड़ी, जनपद-बलरामपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत बेतहनिया कन्हईडीह विकास खण्ड गैसड़ी, जनपद बलरामपुर

पत्रांकः मेमो/ग्रा0पं0/वीबी जी राम जी/राज्य वित्त आयोग/केंद्रीय वित्त आयोग 2026-27 दिनांकः 27-03-2026

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

जिला-बलरामपुर में वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु वीबी जी राम जी / राज्य वित्त आयोग/ केन्द्र राज्य वित्त आयोग /स्वच्छभारत मिशन पेज-2/ आर0जी0एस0ए0/ एस0एल0डब्लू0एम0 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य योजनाओं एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पंचायत भवन, वृक्षारोपण, कायाकल्प, अन्त्येष्टी स्थल, ग्राम पंचायत में पेयजल की आपूर्ति, टेंडर इत्यादि कार्य हेतु प्रथम / द्वितीय श्रेणी इंट/ इंटरलॉकिंग ईट ईट, गिट्टी बालू / मोरंग / ग्रेनाइट /सरिया / पत्थर गिट्टी / ह्यूमपाइप / पेंट, सामुदायिक शौचालय मरम्मत, लारवा फागिंग, पुलिया निर्माण, सोक पिट, गड्ढा निर्माण, इत्यादि समस्त निर्माण सामग्री मेज-कुर्सी अलमारी, साइनबोर्ड, स्कूल के झूले एवं अन्य खेल सामग्री की आवश्यकता है। और छुट्टकमशीन किराये पर ट्रैक्टर-ट्रॉली किराये पर आवश्यकता है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 27-03-2026 से 30-03-2026 तक सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा पर वांछित प्रपत्र बंद लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय के निविदा बॉक्स में डाली जाएगी। धरोहर राशि 05 हजार रूपये मात्र होगी। निविदा एवं कोटेशन दिनांक 03-04-2026 उपस्थिति में 10 बजे से 01 बजे तक निविदा फार्म खोला जायेगा।

नियम/शर्ते निम्न है:-

1- निविदा शुल्क रू. 650 होगी जो कि देय नहीं होगी।
2-जिस आपूर्तिकर्ता की दर सबसे कम होगी उसे ग्राम पंचायत द्वारा कार्य कराये जाने हेतु सूचित किया जायेगा यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित समय सीमा में आपूर्ति नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में आपूर्ति आदेश निरस्त करते हुए वरियता क्रम में अन्य फर्म को आपूर्ति आदेश जारी करने हेतु स्वतंत्र है।
3-फर्म को जी0एस0टी0 पंजीकृत हो तो आयकर की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
4-ग्राम प्रधान सचिव द्वारा नामित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आपूर्ति की मौजूदगी में निविदा खोला जायेगा।
5- जो दरें प्रस्तुत की जाएं वह दरें जीएसटी तथा ढुलाई चढ़ाई उतराई तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाए।
6- सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दरों से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी।
7- सामग्री की आपूर्ति सचिव / ग्राम प्रधान के आपूर्ति आदेश पर ही की जाए।
8- प्रस्तुत दरें पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
9-स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी अवरअभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त ही किया जायेगा गुणवत्ता खराब होने पर आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया जायेगा।

अमित वर्मा
ग्राम पंचायत अधिकारी वि0खं0
गैसड़ी, जनपद-बलरामपुर

अब्दुल तौव्वाब
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत बेतहनिया कन्हईडीह, वि0खं0
गैसड़ी, जनपद-बलरामपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत रानियापुर विकास खण्ड गैसड़ी, जनपद बलरामपुर

पत्रांकः मेमो/ग्रा0पं0/वीबी जी राम जी/राज्य वित्त आयोग/केंद्रीय वित्त आयोग 2026-27 दिनांकः 27-03-2026

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

जिला-बलरामपुर में वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु वीबी जी राम जी / राज्य वित्त आयोग/ केन्द्र राज्य वित्त आयोग /स्वच्छभारत मिशन पेज-2/ आर0जी0एस0ए0/ एस0एल0डब्लू0एम0 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य योजनाओं एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पंचायत भवन, वृक्षारोपण, कायाकल्प, अन्त्येष्टी स्थल, ग्राम पंचायत में पेयजल की आपूर्ति, टेंडर इत्यादि कार्य हेतु प्रथम / द्वितीय श्रेणी इंट/ इंटरलॉकिंग ईट ईट, गिट्टी बालू / मोरंग / ग्रेनाइट /सरिया / पत्थर गिट्टी / ह्यूमपाइप / पेंट, सामुदायिक शौचालय मरम्मत, लारवा फागिंग, पुलिया निर्माण, सोक पिट, गड्ढा निर्माण, इत्यादि समस्त निर्माण सामग्री मेज-कुर्सी अलमारी, साइनबोर्ड, स्कूल के झूले एवं अन्य खेल सामग्री की आवश्यकता है। और छुट्टकमशीन किराये पर ट्रैक्टर-ट्रॉली किराये पर आवश्यकता है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 27-03-2026 से 30-03-2026 तक सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा पर वांछित प्रपत्र बंद लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय के निविदा बॉक्स में डाली जाएगी। धरोहर राशि 05 हजार रूपये मात्र होगी। निविदा एवं कोटेशन दिनांक 02-04-2026 उपस्थिति में 11 बजे से 02 बजे तक निविदा फार्म खोला जायेगा।

नियम/शर्ते निम्न है:-

1- निविदा शुल्क रू. 650 होगी जो कि देय नहीं होगी।
2-जिस आपूर्तिकर्ता की दर सबसे कम होगी उसे ग्राम पंचायत द्वारा कार्य कराये जाने हेतु सूचित किया जायेगा यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित समय सीमा में आपूर्ति नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में आपूर्ति आदेश निरस्त करते हुए वरियता क्रम में अन्य फर्म को आपूर्ति आदेश जारी करने हेतु स्वतंत्र है।
3-फर्म को जी0एस0टी0 पंजीकृत हो तो आयकर की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
4-ग्राम प्रधान सचिव द्वारा नामित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आपूर्ति की मौजूदगी में निविदा खोला जायेगा।
5- जो दरें प्रस्तुत की जाएं वह दरें जीएसटी तथा ढुलाई चढ़ाई उतराई तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाए।
6- सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दरों से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी।
7- सामग्री की आपूर्ति सचिव / ग्राम प्रधान के आपूर्ति आदेश पर ही की जाए।
8- प्रस्तुत दरें पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
9-स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी अवरअभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त ही किया जायेगा गुणवत्ता खराब होने पर आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया जायेगा।

अमित वर्मा
ग्राम पंचायत अधिकारी वि0खं0
गैसड़ी, जनपद-बलरामपुर

शिवकली
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत रानियापुर, वि0खं0
गैसड़ी, जनपद-बलरामपुर

संक्षिप्त खबरें

30 मार्च को भव्यता से मनेगी भगवान महावीर जयंती

शहडोल बुढार आगामी 30 मार्च को पूरे देश विदेशों में सभी जगहों में तिथि अनुसार जिन शासन नायक भगवान महावीर की जन्म जयंती जैन अनुयायियों द्वारा भव्यता से पारंपरिक तरीकों से मनाई जाएगी। पूज्य निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी एवं पूज्य मुनि श्री शीतल सागर के पावन सानिध्य मिलने से इस वर्ष बुढार समाज में एक विशेष उत्साह देखने में आ रहा है। 30 मार्च को प्रातः 7 बजे से श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर जी में पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी, शीतल सागर जी के मुखारबिंद से 108 कलशों से भगवान महावीर स्वामी जी का महा मस्तकाभिषेक किया जाएगा।

मुनि श्री की आहार चर्या के पश्चात दोपहर 1.30 बजे श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर जी से श्री जी की भव्य शोभा यात्रा , विमान जी, पालकी, भव्य जुलुश के साथ निकाली जाएगी जो पारंपरिक मुख्य मार्ग से होती हुई वापस मंदिर जी में आहुत होगी जहां नगर भ्रमण पश्चात श्री जी का मस्तकभिषेक किया जाएगा। शाम के वक्त भगवान की महा आरती एवं बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।उक्त समस्त कार्यक्रम को सम्पन्न कराने में बुढार, धनपुरी, अमलाई सभी जगहों की कमेटियां, पाठशाला के बच्चों की बढ़ चढ़ कर भूमिकाएं रहेंगी।

जवारा जुलुस को ऐतिहासिक बनाने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा

बिरासनी सेवा समिति की सराहनीय पहल

शहडोल बिरसिंहपुर पाली- बसंतीय नवरात्रि के जवारा जुलुस को ऐतिहासिक बनाने के लिए बिरासनी सेवा समिति के व्दारा जवारा जुलुस में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर प्रकृति की हरीतिमा देवी और कलश धारियों का सम्मान करने की तैयारी कर ली गई है। विदित होवे की बिरसिंहपुर पाली का जवारा जुलुस का सदैव अपने विशाल और शांति के लिए प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय है कि जगत भर में बहु प्रसिद्ध देवी मंदिरों में आदि शक्ति जगत जननी महिषासुर मर्दिनी की आदम कद प्रतिमा के रूप में विराजमान बिरासनी माँ का प्रमुख मंदिर देश भर में अव्दितीय स्थान रखते हुए अपनी प्रसिद्धि कायम कर रखी है। माँ बिरासनी दरबार के साथ ही यहाँ का विशाल जवारा जुलुस का महत्व देश भर में जाना जाता है, उसके महत्वा को बढाने के लिए बिरासनी सेवा समिति ने इस बार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर जवारा जुलुस को अविस्मरणीय बनाने का इतिहास रचने जा रहा है। बिरासनी सेवा समिति निरंतर ही माता के दरबार में नवरात्रि में अखंड भंडारा का आयोजन करते आ रहा है, जहाँ पर हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं।

विश्व जल दिवस पर छात्राओं को प्राचार्य ने किया सम्मानित

शिवपति पीजी कॉलेज शोहरतगढ़ में विश्व जल दिवस पर छात्राओं को सम्मानित करते प्राचार्य प्रोफेसर अरविंद कुमार सिंह

सिद्धार्थनगर। शिवपति पीजी कॉलेज शोहरतगढ़ के भूगोल विभाग के सभागार में विश्व जल दिवस पर बुधवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्य प्रोफेसर अरविंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुआ। प्राचार्य ने छात्र-छात्राओं को विश्व जल दिवस के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने जल संरक्षण के विभिन्न तरीकों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जल ही जीवन है और इसके बिना मानव सभ्यता की कल्पना असंभव है।उन्होंने विद्यार्थियों को घरों से लेकर खेतों तक पानी की हर बूंद को बचाने की शपथ दिलाई। राजू प्रजापति ने छात्र-छात्राओं को प्रकृति और पर्यावरण से जल संरक्षण के गहरे संबंधों को समझाया। छात्राओं को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रोफेसर मुकेश कुमार, डॉ. धर्मेंद्र सिंह, इंद्रदेव वर्मा, डॉ. अरविंद कुमार सिंह, डॉ. प्रवीण कुमार, डॉ. अजय कुमार सिंह, तुलसीराम, समसीरूल इस्लाम, अश्वनी सिंह, रत्नेश सोनी, पंकज सिंह, सुरेंद्र आदि लोग उपस्थित रहे।

महाविद्यालय में शहादत दिवस के अवसर पर 36वीं शहीद भगत सिंह स्मृति व्याख्यानमाला का सफलतापूर्वक आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह सांध्य महाविद्यालय में शहादत दिवस के अवसर पर 36वीं शहीद भगत सिंह स्मृति व्याख्यानमाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' उपस्थित रहे।अपने उद्बोधन में डॉ. निशंक ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए असंख्य बलिदानों का योगदान रहा है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में जीवन जी रहे हैं, तो नई पीढ़ी के लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि उनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। उन्होंने कहा कि इस संस्थान से निकलने वाला प्रत्येक छात्र ऐसा हो, जिसके व्यक्तित्व में देशवासियों को भगत सिंह की झलक दिखाई दे।

उन्होंने कहा कि भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि चेतना, संघर्ष, संकल्प, जिजीविषा, जिज्ञासा और विचारों की पराकाष्ठा के प्रतीक थे। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय के युवाओं ने बड़ी चुनौतियों को समझा और उनका सामना किया, क्योंकि वे जानते थे कि जितनी बड़ी चुनौती होगी, उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होगी। अतः विद्यार्थियों को इन विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है।

उन्होंने आगे कहा कि यह दिन केवल अतीत की स्मृतियों को स्मरण करने का अवसर नहीं है, बल्कि राष्ट्र के चरित्र-निर्माण की आधारशिला को सुदृढ़ करने का भी अवसर है। केवल महान विभूतियों को याद करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना भी आवश्यक है।डॉ. निशंक ने कहा कि युवा आयु के तीन वीरों ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन की महत्ता आयु या समय में नहीं, बल्कि उसके उद्देश्यों की ऊँचाई में निहित होती है।

वे भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, किंतु ऐसी चेतना छोड़ गए हैं, जो युगों-युगों तक भारत के मानस को आलोकित करती रहेगी।उन्होंने यह भी कहा कि जहाँ पश्चिम विश्व दुनिया को एक वैश्विक बाज़ार के रूप में देखता है, वहीं भारत 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना के साथ पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। भारतीय ज्ञान परंपरा को उत्कृष्ट बताते हुए उन्होंने कहा कि भगत सिंह केवल क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि एक गहन चिंतक और लेखक भी थे। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और विद्यार्थियों को उनसे प्रेरणा लेकर गंभीर अध्ययन एवं चिंतन की दिशा में अग्रसर होना चाहिए।कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि अर्पित कर किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अरुण कुमार अत्री ने अपने संदेश के माध्यम से भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. एस. के. बंदूनी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए सभा को संबोधित किया तथा सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने छात्रों को भगत सिंह के आदर्शों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। डूटा अध्यक्ष प्रो. वी. एस. नेगी ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि भगत सिंह के विचारों पर गहन अध्ययन की आवश्यकता है, साथ ही उनके संदर्भ में विकसित विभिन्न नैरेटिव्स को समझना भी आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस व्याख्यानमाला में सैकड़ों की संख्या में शिक्षकगण, कर्मचारी एवं छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।

गोपीनाथपुर प्राथमिक विद्यालय में धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव

● निशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य जागरूकता शिविर सम्पन्न

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लंभुआ, सुल्तानपुर। लंभुआ तहसील क्षेत्र के गोपीनाथपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नन्हे-मुन्ने बच्चों ने स्वागत गीत, सरस्वती वंदना एवं रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत नाटक के माध्यम से नामांकन बढ़ाने और साक्षरता के महत्व पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में बच्चों की शानदार प्रस्तुति को देखकर अभिभावक एवं ग्रामीण भावविभोर हो उठे। इस अवसर पर कक्षा 1 से 5 तक के मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर क्रमशः 1100 रुपये, 700 रुपये और 500 रुपये की नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान स्वर्गीय त्रिवेणी प्रसाद द्विवेदी की स्मृति में उनके पुत्र राकेश, विवेक और दुर्गेश द्वारा प्रदान किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एआरपी रामप्रवेश सिंह एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में ग्राम प्रधान संतोष अग्रहरि मौजूद रहे। इसके साथ ही जिला पंचायत प्रत्याशी जितेंद्र शर्मा, ग्राम प्रधान संतोष अग्रहरि सहित अन्य ग्रामवासियों का भी सराहनीय सहयोग रहा। विद्यालय के प्रधानाचार्य अंजनी मिश्रा, शिक्षक रविशंकर शुक्ल, उषा यादव, शैलेंद्र कुमार और पूजा मिश्रा ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ग्राम प्रधान संतोष अग्रहरि ने बताया कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना और समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। वहीं समाजसेवी जितेंद्र शर्मा ने कहा कि वे भविष्य में भी ऐसे शैक्षिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में सहयोग करते रहेंगे। कार्यक्रम में दान बहादुर यादव, विवेक सिंह, श्याम लाल गुप्ता, चंद्रजीत यादव, सत्यराम दुबे, जोखन प्रसाद दुबे, कल्लू यादव, अजय यादव समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब सभी अधिवक्ताओं की निगाहें हाईकोर्ट के आगामी आदेश पर टिकी हैं।

कानपुर प्रेस क्लब में गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान दिवस पर दी गई श्रद्धांजलि

कानपुर। शहीद शिरोमणि गणेश शंकर विद्यार्थी जी 95 बलिदान दिवस पर बुधवार को कानपुर प्रेस क्लब सभागार में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें पत्रकारिता का आदर्श बताया गया। विद्यार्थी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और पत्रकारों ने फूल चढ़ाए द्य वरिष्ठ पत्रकार शिव शरण त्रिपाठी ने कहा कि विद्यार्थी जी के मार्ग पर चलना कठिन है, लेकिन यदि ऐसा कर सके तो समाज और देश की सच्ची सेवा होगी द्य नीरज तिवारी ने कहा कि अब डिजिटल युग में पत्रकारिता में चुनौतियां हैं, लेकिन इसके बीच तथ्यों और साक्ष्य पर ध्यान ज़रूरी है द्य उपाध्यक्ष गौरव सरस्वत ने कहा कि समय के साथ पत्रकारिता का तरीका भी बदला है, लेकिन लोक कल्याण पर ध्यान देना होगा। इस मौके पर प्रेस क्लब के मंत्री शिवराज साहू, कोषाध्यक्ष सुनील साहू, उत्सव, अभिषेक मिश्रा, गगन पाठक, नीरज तिवारी,अभिषेक मिश्रा,मो फैज,शिवा मिश्रा,शिवम,बलराम,विवेक, ज्ञानेंद्र मिश्रा, कुशाग्र अवस्थी सहित कई पत्रकार मौजूद रहे द्य इस सभा का संचालन महामंत्री शैलेश अवस्थी ने किया द्य वरिष्ठ पत्रकार शिव शरण त्रिपाठी को सम्मानित किया गया।

खुले में मीट बेचने वाले दुकानदारों को दिए नोटिस, हापुड़ अड्डे से इंदिरा चौक तक दुकानों का किया निरीक्षण

मेरठ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निर्देश पर बुधवार की शाम को एफएसडीए की टीम ने हापुड़ अड्डे से लेकर इंदिरा चौक तक मीट की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई मीट की दुकानों पर रोक के बावजूद खुले में मीट बिकता हुआ मिला। जिसके बाद इन दुकानदारों को नोटिस दिया गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि शर्मा ने बताया कि मीट दुकानदारों को गाइडलाइन जारी की हुई है कि वह मीट को खुले में रखकर नहीं बेचेंगे। साथ ही शीशे में भी मीट को नहीं रखा जाएगा। बावजूद इसके हापुड़ अड्डे से लेकर इंदिरा चौक तक कई दुकानों पर खुले में मीट बेचा जा रहा था, जिसकी शिकायत कई बार मिल चुकी थी। बुधवार को मोहम्मद समीर, अननोन मुर्गा मीट, दानिश मुर्गा मीट, रियासत रेस्टोरेंट, दिल्ली चिकन शाप, ईशान रेस्टोरेंट को खुले में मीट बेचने पर नोटिस दिए गए है। रवि शर्मा ने बताया कि यदि दोबारा निरीक्षण में इनकी दुकानों पर खुले में मीट बिकते हुए पाया गया तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

श्रीभूमि जिले के दुल्लभछड़ा में गंभीर गैस संकट, क्षेत्रवासियों ने विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमिः श्रीभूमि जिले के दुल्लभछड़ा क्षेत्र में पिछले एक महीने से रसोई गैस की गंभीर कमी बनी हुई है, जिससे स्थानीय निवासी भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। विशेष रूप से चैत्र माह में आयोजित होने वाली बसंती पूजा के मद्देनज़र क्षेत्र के विभिन्न गांवों में यह संकट और अधिक गहरा गया है। इस संबंध में दुल्लभछड़ा गैस एजेंसी के जिम्मेदार कर्मचारियों ने बताया कि उच्चाधिकारियों से पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिलने के कारण वे गैस वितरण करने में असमर्थ हैं। उनका कहना है कि इस समस्या को कई बार संबंधित गैस कार्यालय के संज्ञान में लाया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है।

वहीं, लंबे समय से गैस की अनुपलब्धता के कारण क्षेत्रवासियों में रोष और निराशा बढ़ती जा रही है। उन्होंने इस समस्या के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए जिले के उच्चपदस्थ विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन जनहित को ध्यान में रखते हुए जल्द ही आवश्यक कदम उठाएगा और दुल्लभछड़ा क्षेत्र में गैस संकट का समाधान सुनिश्चित करेगा।

बलिया में निर्माणाधीन सरयू पुल पर बड़ा हादसाः सरिया ढांचा गिरने से 2 मजदूरों की मौत, एक गंभीर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलिया जिले में निर्माणाधीन सरयू नदी पुल पर बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। पिलर निर्माण के दौरान सरिया का भारी ढांचा अचानक गिरने से चार मजदूर मलबे में दब गए। इस दर्दनाक हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना बेल्थरा रोड क्षेत्र के तुर्तीपार पुल की है, जहां करीब 650 करोड़ रुपये की लागत से पुल निर्माण का कार्य चल रहा है। मजदूर पिलर के लिए सरिया बांध रहे थे, तभी संतुलन बिगड़ने से लोहे का ढांचा भरभराकर गिर पड़ा।

हादसे के तुरंत बाद ठेकेदारों ने जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटाकर मजदूरों को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीयर भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने पप्पू (30) और अमित (30) को मृत घोषित कर दिया, जबकि जुगल (27) का इलाज जारी है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे पहले भी इसी पुल निर्माण के दौरान सरिया संरचना गिरने से मजदूर घायल हो चुके हैं, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। प्रारंभिक जांच में लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

परिषदीय विद्यालयों में नवारंभ उत्सव का हुआ आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर- विकास खण्ड उस्का बाजार के परिषदीय विद्यालयों में बुधवार को भव्य 'नवारंभ उत्सव' का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नव-प्रवेशित बच्चों, विशेषकर 'बालवाटिका' और कक्षा-1 के छात्रों का विद्यालय में आत्मीय स्वागत करना और उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना रहा।पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय परसा खुर्द में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश मिश्र ने छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी और पाठ्य सामग्री वितरित की। बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए बीईओ ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप स्कूलों में बच्चों को आनंदमय और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में कराएं और उन्हें नियमित विद्यालय भेजें।

विद्यालय परिसर को रंग-बिरंगे चार्ट, गुब्बारों और फूलों से सजाया गया था ताकि बच्चे पहले ही दिन स्कूल के प्रति आकर्षित हों। प्राथमिक विद्यालय मरवटियामाफ़ी में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पवन रस्तोगी की मौजूदगी में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का 'बालवाटिका' के तहत नामांकन कर उनका तिलक लगाकर स्वागत किया गया।शिक्षकों ने अभिभावकों को नई शिक्षा नीति और विद्यालय में उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। विद्यालय परिवार ने संकल्प लिया कि वे इस सत्र में बच्चों के सर्वांगीण विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। इस दौरान विद्यालयों के स्टाफ व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

रिंकू सिंह को शादी से पहले डबल तोहफा, केकेआर के उपकप्तान और यूपी में सरकारी नौकरी मिलने से फैंस खुश

अलीगढ़। भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य व शहर के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह के नाम उपलब्धियां जुड़ती जा रही हैं। पहले टी-20 क्रिकेट विश्वकप विजेता टीम का सदस्य होने की उपलब्धि जुड़ी। इसके बाद सरकार द्वारा उनको क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी (आरएसओ) का पद मंगलवार को दिया गया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में वे अपने कैंप के चलते शामिल नहीं हो सके। मगर इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। इसके अलावा एक उपलब्धि और जुड़ी कि वे आइपीएल में अपनी केकेआर (कोलकाता नाइटराइडर्स) टीम के उप कप्तान भी बनाए गए हैं। रिंकू के नाम लगातार जुड़ रही इन उपलब्धियों से शहर के क्रिकेट प्रेमी खुशी जता रहे हैं। प्रशिक्षु क्रिकेटर उनकी इस सफलता से प्रेरित होकर यही संकल्प ले रहे हैं कि उनको भी रिंकू जैसा बनना है। देश के लिए खेलते हुए जिले व प्रदेश का नाम रोशन करना है। क्रिकेट प्रेमी अर्जुन सिंह फकीरा ने भी महुआखेड़ा मैदान पर प्रशिक्षु क्रिकेटर्स को रिंकू सिंह की सफलता पर मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दीं। रिंकू को आरएसओ का पद मिलने और केकेआर टीम का उप कप्तान बनाए जाने पर उनके स्वजन को भी खुशी हुई है।

मिल्कीपुर बार एसोसिएशन चुनाव में देरी का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

● अध्यक्ष, मंत्री, एल्डर्स कमेटी को 31 मार्च तक देना होगा जवाब

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मिल्कीपुर अयोध्या। मिल्कीपुर बार एसोसिएशन के सांगठनिक चुनाव में देरी का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष पवन शुक्ला ने इस संबंध में याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वार्षिक चुनाव नियमों के विरुद्ध नहीं कराए जा रहे हैं।

अधिवक्ता पवन शुक्ला के अनुसार, मिल्कीपुर बार एसोसिएशन का चुनाव 17 दिसंबर 2025 तक संपन्न हो जाना चाहिए था। हालांकि, तीन महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी चुनाव नहीं कराए गए, जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर करनी पड़ी। मामले का संज्ञान लेते हुए, हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, मिल्कीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, मंत्री, कार्यकारिणी सदस्य और एल्डर्स कमेटी को नोटिस जारी किया है। इन सभी पक्षों को आगामी 31 मार्च 2026 तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को दस्ती नोटिस तामील कराने का आदेश दिया था। पवन शुक्ला के मुताबिक, एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष हरिमोहन शंकर श्रीवास्तव और कार्यकारी सदस्य एडवोकेट संदीप शुक्ला को नोटिस प्राप्त हो गया है। हालांकि, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश पाण्डेय और मंत्री सूर्य नारायण द्विवेदी ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया है। एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष हरिमोहन शंकर श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने दिसंबर 2025 में चुनाव कराने के लिए बार एसोसिएशन अध्यक्ष और मंत्री से सदस्यों की सूची मांगी थी, लेकिन उन्हें आज तक कोई दस्तावेज नहीं मिला। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बार काउंसिल के नियमानुसार, कार्यकाल समाप्त होने पर यदि कमेटी चुनाव नहीं कराती है, तो उसके सारे अधिकार एल्डर्स कमेटी में निहित हो जाते हैं।नियमानुसार, अध्यक्ष और मंत्री को अपना प्रभार तुरंत एल्डर्स कमेटी को सौंप देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब सभी अधिवक्ताओं की निगाहें हाईकोर्ट के आगामी आदेश पर टिकी हैं।

अलीगढ़ में आठवीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्मः पंचायत में भाई ने किया समझौते से इनकार, किशोर गिरफ्तार

अकराबाद। कक्षा आठवीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। छात्रा बकरी चराने गई थी। तभी पीछा कर रहे दोनों किशोर खेत में खींच ले गए। वीडियो बनाई, जिसे दो दिन बाद प्रसारित कर दिया। तब गांव में हंगामा हो गया। मंगलवार को दिनभर पंचायत हुई, जिसमें पीड़िता के भाई ने समझौते से इनकार कर दिया। इसके बाद मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पुलिस ने दोनों किशोरों को हिरासत में ले लिया है।

दो दिन पहले बकरी चराने गई थी लड़की

मामला कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। दो दिन पहले छात्रा घर से दोपहर के समय बकरी चराने गई थी। इसके जबरन खेत में खींच कर ले जाने वाले किशोरों ने डराया -धमकाया भी। इसके चलते वह चुप रही। घर में डरी सहमी पहुंची, मगर बताया किसी को कुछ नहीं। किशोरों द्वारा वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने के बाद स्वजन को जानकारी हुई। इसके बाद किशोरी से पूछताछ की गई।

मंगलवार को दिन भर चली पंचायत

घटना की सुन स्वजन के होश उड़ गए। गांव के लोग एकत्रित हुए। मंगलवार की दोपहर पंचायत में दोनों किशोरों को लाया गया। इन्होंने माफी मांगी। इनके स्वजन ने भविष्य में इस तरह की घटना न होने का भरोसा दिया, मगर छात्रा का भाई समझौते को तैयार नहीं हुआ। वह कार्रवाई की जिद पर अड़ गया। इसके चलते पंचायत में कोई नतीजा नहीं निकल सका। इसके बाद पीड़ित छात्रा के स्वजन ने थाने में तहरीर दी। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों किशोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कमिश्नर की फटकार के बाद अवैध कटान पर लगी रोक

● परिक्रमा पथ की आड़ में हो रहा था हरियाली पर वार

एनएच-227बी निर्माण से अलग जगहों पर पेड़ों की कटाई, ग्रामीणों में आक्रोश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मिल्कीपुर, अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा पथ निर्माण की आड़ में क्षेत्र में हरे-भरे और वर्षों पुराने पेड़ों की अंधाधुंध कटान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीकापुर-इनायतनगर-रेवतीगंज संपर्क मार्ग के किनारे हो रही इस कटाई ने स्थानीय लोगों में भारी रोष पैदा कर दिया है। मामला तब और गंभीर हो गया जब शिकायत के बाद भी कटान रुकने के बजाय और तेज हो गई। हालांकि देर शाम मंडलायुक्त राजेश कुमार की सख्त फटकार के बाद अवैध कटान पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।

ग्रामीणों का आरोप है कि जिस 84 कोसी परिक्रमा पथ के नाम पर कार्य कराया जा रहा है, उसका वास्तविक मार्ग कई स्थानों पर मौजूदा सड़क से अलग है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क और प्राचीन मार्ग के किनारे खड़े अर्जुन, शीशम, आम, महुआ आदि बहुमूल्य पेड़ों को बेरहमी से काटा जा रहा है। खास बात यह है कि कई स्थानों पर जहां कटान की गई है, वहां से प्रस्तावित परिक्रमा पथ सैकड़ों मीटर दूर है।

ग्राम पंचायत घुरेहटा के अंतर्गत राम गोबिंद के पुरवा से रुइहन पुरवा मोड़ तक बड़े पैमाने पर हुई कटान ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। ग्रामीणों का कहना है कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-227बी की सीमा से बाहर की गई है, जो पूरी तरह अवैध है। लोगों ने आरोप लगाया कि एनएचआई और वन विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क को एनएच का हिस्सा दिखाकर पेड़ों की कटाई कराई जा रही है। बीते मंगलवार को पर्यावरण प्रेमी श्रवणजीत कनौजिया और स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा मंडलायुक्त से शिकायत की गई थी। जिसके बाद अवैध कटान पर रोक लग पायी। शिकायतकर्ता क्षेत्र पंचायत सदस्य विकास सिंह सहित ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि क्षेत्र की हरियाली को बचाया जा सके।

बुधवार को कुमारगंज रेंज के वन क्षेत्राधिकारी प्रमोद श्रीवास्तव मौके पर जांच के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि एनएचआई के सर्वे के आधार पर ठेका दिया गया है और संबंधित अधिकारियों को बुलाया गया है। एनएचआई द्वारा स्पष्ट रूप से लिखित में लेकर वृक्षों की कटान नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि एनएचआई की कार्यशैली के चलते स्थिति विवादित बनी है।

फिलहाल कमिश्नर की फटकार के बाद कटान पर ब्रेक लग गया है, लेकिन यह मामला प्रशासनिक पारदर्शिता और पर्यावरण संरक्षण पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। स्थानीय लोग अब इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।